खण्ड-334, अंक-2
मंगलवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1900
(22 अगस्त, 1978 ई0)

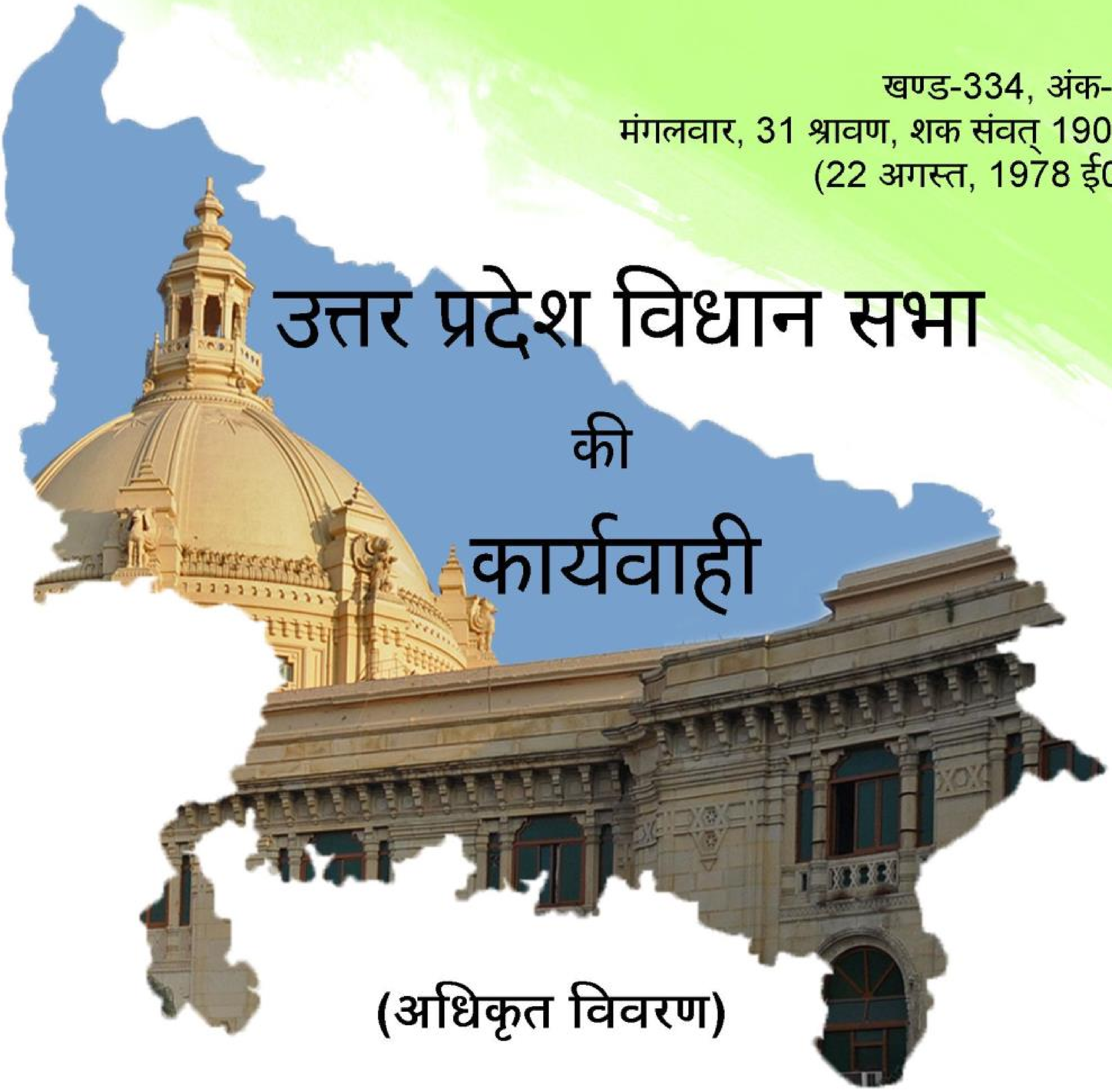

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठसंख्या
उपस्थित सदस्य	..	१६७–१७१
प्रश्नोत्तर	..	१७३–२३२
विधान सभा सदस्य, श्री राज बहादुर यादव के निधन पर	शोकोद्गार	२३२–२३६
मतियां	..	२३७–२४९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदयाचल सभा
उदयाचल पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३६६

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डा० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नारायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री

बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
निशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री

राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डय, श्री
सुधामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमति
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल बिपल)

सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

বিশ্বজিৎ দত্তের বিশ্বাস সংগ্রহ

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ अगस्त, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में घंटा बेग गढ़िइया मोहल्ले के मेनहोल में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु

**१—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २८ जुलाई, १९७८ को सआदतगंज, लखनऊ क्षेत्र में घंटाबेग गढ़िइया मोहल्ले के मेनहोल में विषाक्त गैस से दो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सफाई कर्मचारियों को विषाक्त गैस से बचाने के लिए सरकार ने कौन से नए कदम उठाए और जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से उन कर्मचारियों की मौत हुई उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

सआदतगंज क्षेत्र में घंटाबेग गढ़िइया मोहल्ले के मेनहोल में दिनांक २८-७-७८ को दो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई ।

विषाक्त गैस से बचने के लिए निम्न नए कदम उठाए गए :—

सीवर सफाई कर्मचारियों के लिए नगर महापालिका, लखनऊ, गैस-मास्क रेसुस-सिटटर, लाइन रेस्पिरेटर इत्यादि उपकरण उपलब्ध करा रही है । विषाक्त गैस से बचाव के बारे में शिक्षा एवं आधुनिक तकनीक का ज्ञान कराया जा रहा है जैसे सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग, लालटेन द्वारा गैस का निरीक्षण तथा लेड एसीटेट पेपर से गैस का पता लगाना । सीवर सफाई कराने के निमित्त सीवर सफाई मशीनों का क्रय भी किया जा रहा है ।

दुर्घटना के समय सीवर गैंग का सुपरवीजन करने वाले कर्मचारी श्री विनोद की सेवाएं समाप्त कर दी गई तथा श्री राम औतार शर्मा, क्षेत्रीय मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं श्री मिश्रीलाल, स्वच्छता निरीक्षक को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर महापालिका के सम्बन्धित नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी गई है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह दो मौतें हो गयीं, उसके सम्बन्ध में जो आपने उत्तर दिया, उसमें यह कहा कि ऐसा किया जा रहा है । गैस एक खतरनाक चीज है उसके लिए पहले से प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया और जिन्होंने ने प्रबन्ध नहीं किया उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं ? यह सब तो मरने के बाद किया जा रहा है, जो गैस मास्क. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया तर्क न दें । अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए पहले से प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, प्रबन्ध तो पहले ही से होना चाहिए था मगर जब से उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज बनी और उनमें सीवर बने उनका मैकेनाइजेशन पहली मर्तबा ही किया जा रहा है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है, उन्होंने पहले से ही इस बात को लिखकर दे रखा था कि गैस के लिए प्रबन्ध होना चाहिए जिस पर नगर महापालिका के उच्चाधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस सम्बन्ध में कोई इन्तजाम नहीं किया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मुझे कोई इत्तला नहीं है कि जिन लोगों को निलम्बित किया गया है, उन्होंने नगर महापालिका के अधिकारियों को इन सब उपकरणों की खरीद के लिए लिखा था ।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सीवर का मामला हुआ है, यह अकेले लखनऊ का किस्सा नहीं है । कानपुर में भी है । सीवर के मैन होल्स पर कवर नहीं होते हैं । माननीय मंत्री जी को पता भी होगा कि बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो गयी हैं । कवर जो बनते हैं, वह चोरी हो जाते हैं । अगर कवर बनाकर रख दिए जाएं, तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मामला केवल लखनऊ तक ही सीमित है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन दो मेनहोलों की सफाई इसके पहले कब हुई थी और यह आदेश जो पारित हुए है और जैसा कि उत्तर दिया गया है तो क्या ये केवल लखनऊ के लिए ही सीमित हैं या तमाम प्रान्त के लिए जारी किए गए हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जहां तक उपकरणों का प्रश्न है, सभी महापालिकाओं व नगर पालिकाओं में जहां सीवर लाइन्स हैं और उनके अन्दर जाकर काम करना होता है, उसके लिए जी० ओ० निकाल दिया गया है । जहां तक मेनहोल की सफाई करने का प्रश्न है, दो मैन होल्स के बीच में लगभग ६०-७० फुट का सीवर है । उसकी सफाई का प्रश्न है । मेन होल्स की सफाई करना तो मुश्किल नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

इसके पहले भी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में इस प्रकार की दुर्घटनायें हो चुकी हैं, तो पहले भी यहां पर भूतपूर्व मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि समुचित प्रबन्ध कर दिया जायगा, तो अब तक यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

उसकी पूर्ति उन्होंने नहीं की, मैंने कर दी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो २ सफाई कर्मचारी मर गये हैं, उनके परिवारों को एकमुश्त सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी, यदि नहीं, तो क्या उस पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द सहायता पहुंचायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जिन २ व्यक्तियों की दुखान्त मृत्यु हुई है, उनके परिवार को ५ हजार रुपये महापालिका की ओर से १ हजार रुपया प्रशासक की ओर से, पांच सौ रुपया दाह संस्कार करने के लिये हेल्थ आफिसर की ओर से, २ १/२ हजार रुपया सीवर बीमा योजना की ओर से और १२ हजार रुपया ग्रुप इन्श्योरेन्स के हिसाब से । इसके बाद जो ३ रिटायरल सुविधायें जैसे पेन्शन, प्रोविडन्ट फंड और ग्रेचुटी आदि उनको अलग से देय हैं, ये तो मिलती ही हैं । इस प्रकार से यह २१ या २१ १/२ हजार रुपया उनके संतप्त परिवार को दिए गए हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि लालटेन द्वारा गैस का निरीक्षण किया जाता है, तो यह कौनसी टेक्निकल चीज है ? क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गैस की जांच के लिए जो मशीन है, उसको पहले डालने के लिए कोई निर्देश दिये गये या नहीं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

गैस को टेस्ट करने के लिये मन होल में एसीटेट पेपर डाला जाता है । अगर उसमें विषैली गैस है, तो कागज का रंग बदल जाता है । अगर ऐसा होता है, तो हरगिज नहीं घुसना चाहिये । अगर मैनहोल में मिथेन गैस होती है और उसके अन्दर लालटेन ले जाई जाय तो फौरन आग लग सकती है । एच० क्यू०एस० जो उसके अन्दर होती है, जिससे चोकिंग मालूम होती है, वहां लालटेन काम नहीं देती । वह मिथेन गैस का पता लगाने के लिये होती है, उससे गैस में आग लग जाती है ।

श्री गुलाब सेहरा--

यह रंग बदलने वाली मशीन कैसी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

ये भी मिथेन गैस से पीड़ित हैं, ऐसा मालूम होता है ।

इसके बाद जो पानी में डुबकी लगाकर जब सीवर साफ करना होता है, उसके लिये लाइन रेस्पीरेटर्स, पहले मालूम कर चुके हैं कि गैस मास्क्स के बगैर अन्दर जाया नहीं जा सकता अगर इजाजत दें तो सारी मशीनों को दिखा दिया जाय, मेरे पास सब उपलब्ध हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसका प्रदर्शन बाहर करा दीजियेगा ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

ये इस विषय में प्रशिक्षित हो जायेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा—

रंग बदलने वाली मशीन दिखला दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रदर्शन बाहर करा दिया जायगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आपने अपने ऊपर टस्ट किया है या नहीं किया है ?

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मन्त्री जी ने आश्रितों को आर्थिक सहायता तो दी है, तो क्या जो आश्वासन दिया था कि जो भी लोग मृतक हुये हैं, उनके परिवार के एक-एक लड़के को रोजगार दिया जायगा, मैं जानना चाहूंगा कि यदि वे पढ़े-लिखे लड़के हैं, हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट, तो क्या उनको भी सफाई कर्मचारी या सीवर कर्मचारी ही बनाया जायगा या उनकी शिक्षा के अनुरूप कोई नगर महापालिका में रोजगार दिया जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आदेश दे चुका हूं कि योग्यता के अनुरूप कार्य तत्काल दे दिया जाय। इन्टरमीडिएट अगर पास है, तो वह लिपिक हो सकता है और भी....

श्री देव बहादुर सिंह—

मन्त्री हो जायगा ।

विश्व बैंक की सहायता से अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत बानिकी परियोजना

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने वर्ष १९७८ में विश्व बैंक की सहायता से अन्त्योदय कार्य-क्रम के अन्तर्गत ४० करोड़ रुपये की एक बानिकी योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

यह सही नहीं है कि सरकार ने वर्ष १९७८ में विश्व बैंक की सहायता से अन्त्योदय कार्य-क्रम के अन्तर्गत ४० करोड़ रुपये की एक बानिकी योजना स्वीकृत की है । परन्तु यह सही है कि मुख्यतः अति गरीब ग्रामीण जनता को ईंधन, चारापत्ती, घास आदि की दैनिक आवश्यकता के पूर्ति हेतु तथा वन उपज आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योगों के लिये कच्चे माल का संसाधन सृजित करने हेतु वन विभाग द्वारा तयार की गई सामाजिक बानिकी परियोजना, जिस पर अगले पांच वर्षों में (वर्ष १९७९-८० से १९८४-८५ तक) लगभग ४० करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, उसे विश्व बैंक द्वारा भेज गये दो प्रतिनिधियों ने वन विभाग के

अधिकारियों के साथ स्थानीय निरीक्षण के उपरान्त सिद्धान्त : अनुमोदित किया है। विश्व बैंक प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के पश्चात् परियोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि परियोजना के कुल लागत का लगभग ६० प्रतिशत व्यय पारिश्रमिक के रूप में अति गरीब जनता को ही जायेगा और परियोजना से प्राप्त लगभग शत प्रतिशत ईंधन, घास, चारापत्ती, छोटी लकड़ी सम्बन्धित गांवों के अन्त्योदय परिवारों को निःशुल्क अथवा नाममात्र मूल्य पर देने का प्राविधान प्रस्तावित है, अतः इसे अन्त्योदय कार्य-क्रम के अन्तर्गत माना जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस योजना के लिए कच्चे माल के संसाधन सृजित करने हेतु किन-किन उपायों और कार्य-क्रमों को चालू किया जायगा और उस सम्बन्ध में अबतक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन वर्ग को रोजगार देंगे और गांवों के लिए ईंधन, चारा, पत्ती, घास और छोटी लकड़ी, फल-फूल आदि। जैसे वन उपज के उपलब्ध करने के लिये वन विभाग की योजना बनी हैं, बंजर, गांव समाज की सड़कों के किनारे, नहरों के किनारों पर पेड़ लगाने की योजना है। उसमें ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग को वन उपज उपलब्ध कराने के लिए शीशम और महुआ, नीम, सहजन, अर्जुन, कंजी वगैरह के वृक्ष लगाए जायेंगे और १९७६-७७, १९७७-७८ में करीब ७८ लाख रुपये के वृक्षारोपण में खर्च किया गया है। जिसमें पहले आजमगढ़, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में २१,५५ हेक्टेयर में पेड़ लगाये गए हैं और ३,२८५ रोड किलोमीटर में पेड़ लगाये गये हैं। यह तीन डिवीजन के कार्य के बाद मई में गाजीपुर डिवीजन भी एक खोला गया है, जिसमें १३० लाख रुपय के व्यय करने का प्राविधान है और वृक्षारोपण किया जायगा, जिसमें ६ हजार हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाये जायेंगे। जो ४० करोड़ की यह योजना है, इसमें पेड़ भी लगाये जायेंगे और इनसे कुटीर उद्योगों का भी काम होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहमति किन-किन सिद्धान्तों पर हो गई है और इस योजना में बलिया को भी क्या सम्मिलित किया गया है ?

श्री श्रीचन्द्र—

विश्व बैंक के दो प्रतिनिधि लखनऊ, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर आदि जगहों पर गये थे और वहां का निरीक्षण किया था और सिद्धान्तः उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया और अंतिम रूप से जनवरी तक यह तयार हो जायेगी। माननीय सदस्य ने बलिया के बारे में पूछा है, बलिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

श्री देवबहादुर सिंह—

अन्त्योदय परिवार की परिभाषा क्या है ?

श्री श्रीचन्द्र—

जो भूमिहीन है और जो जंगलात पर ही निर्भर हैं उनको ही इसमें माना गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि जंगलों में ही रहने वाले जो टांगिया मजदूर हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिये भी क्या उनको इस योजना में शामिल किया गया है ? उनके पास न घर है, न जमीन है और पुश्त दर पुश्त से वे यही काम करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो उनके लिय इस योजना में कितनी धनराशि रखी गई है ?

श्री श्रीचन्द्र--

जो मूसा जाति है, जो बिलकुल ही जंगलात के उत्पादन पर ही निर्भर है, उनको ही इसमें शामिल किया गया है । जहां तक टांगिया जाति का सम्बन्ध है' उनके लिए स्कूल आदि की सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है, इसमें वे नहीं आते ।

लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

**३--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्तियों/प्रोन्नतियों में आरक्षण सेवा नियम लागू नहीं किये जाते या शिथिल कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो विभिन्न पदों पर उनका आरक्षण कोटा पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

जी हां । आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार लोक सेवा आयोग कार्यालय में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्तियों/प्रोन्नतियों में आरक्षण सेवा नियम लागू किया जाता है तथा उस नियम में शिथलीकरण नहीं किया जाता ।

उपरोक्त के बावजूद आयोग कार्यालय के कुछ पदों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न होने का प्रमुख कारण मुख्यतः गत कुछ वर्षों में नियमित चयन का सम्भव न हो पाना है ।

आयोग ने निर्णय लिया है कि नियमित चयन आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में लेते हुये शीघ्र सम्पन्न करा लिए जायं तथा चयन विषयक विज्ञापन भी जारी किए जा चुके हैं ।

श्री हिम्मत सिंह--

उत्तर में लिखा है, जी नहीं और कहा गया है, जी हां ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

गलती हो गई । 'जी नहीं' है ।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों में और पदोन्नति में कितने आदमियों को लिया गया और कितने आदमियों को नहीं लिया गया तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, लोक सेवा आयोग के कार्यालय में यह चार प्रकार के कर्मचारी हैं। समूह (घ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ७५ हैं। इसमें से २३ अनुसूचित जाति के हैं। इसमें से ६ स्वीपर हैं। अगर २३ का हिसाब लगाया जाय, तो इनका आरक्षण ३० प्रतिशत है। अगर इन ६ को निकाल दिया जाय, तो संख्या १७ रह जाती है, तो २५ प्रतिशत रहता है। दूसरे समूह (ग) तृतीय श्रेणी के १९६ कर्मचारी हैं। इनमें से २६ कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं। इनका प्रतिशत १३.२६ है। तो कोटा ५ प्रतिशत कम है। तीसरे समूह (ख) में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी आते हैं। इनकी संख्या ३५ है। इनमें से ५ अधिकारियों में सचिव का पद आई० ए० एस० संवर्ग का है। बाकी चार अधिकारियों में ३ संयुक्त सचिव, एक उप सचिव का पद है। यह पी० सी० एस० संवर्ग के हैं। इनमें से अलग से संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त ३० अधिकारियों में से ३ सीधी भर्ती के हैं और २७ पद पदोन्नति के हैं। इन ३० में से अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं किया गया, कारण यह है कि सन् १९७३ के पहले पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं था। आयोग ने सूचना दी है कि इसका कारण यह रहा कि कुछ पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले, कुछ मिले, तो उपयुक्त नहीं पाये गये। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि विज्ञापन दिये गये हैं, नियमित चयन किया जा रहा है और यह कोटा शीघ्र पूरा किया जायगा।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जो चयन समिति बैठेगी, तो जब तक कोटा पूरा न हो जाय, तब तक दूसरों को नहीं लिया जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, यह प्रयास किया जाता है और यही किया जायगा।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या प्रश्न होने के बाद प्राप्त हुई हैं ? आपने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग, स्वायत्तशासी आयोग है। हमने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की केवल उनसे सूचना मांगी है।

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्वेशन, जो पदोन्नति में है, उसमें अयोग्य व्यक्तियों की पदोन्नति हो जाती है। क्या पदोन्नति में रिजर्वेशन समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

१९७३ से पदोन्नति में रिजर्वेशन आरम्भ किया गया है। समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि १९७५ में पी० सी० एस० में ३७ बेसिक शिक्षा अधिकारी चुने गये थे, जिनमें १० की नियुक्ति

हुई है और उनमें कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं हैं ? यदि हां, तो इस तरह का भेद-भाव क्यों बरता गया है ? क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है, तो उसके सम्बन्ध में क्या कुछ न्यूनतम नम्बर या प्रतिशत रखा है ? दूसरी बात पिछली बार परीक्षा कब हुई थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

नियुक्ति के लिये तो साधारण नियम हैं कोई अलग योग्यता नहीं रखी जाती है । जो माननीय सदस्य ने पूछा कि कब परीक्षा हुई थी, तो मैंने निवेदन किया था कि आयोग ने सूचना दी है कि पहले विधिवत चयन नहीं होता रहा है और ऐसे ही एडहाक नियुक्तियां करते गये हैं । अब आश्वासन दिया है कि विधिवत विज्ञापन देकर परीक्षा ली जायगी ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने पूछा था कि क्या कोई न्यूनतम नम्बर या प्रतिशत रखा है ?

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न है कि संविधान में क्या ऐसी व्यवस्था है कि आरक्षण में न्यूनतम योग्यता का ध्यान रखा जाता है ? न्यूनतम नम्बर होने पर ही परीक्षा ली जाती है, क्या इस नियम का पालन होता है कि नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, नियम का पालन तो होता ही है ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, नियम यह है कि जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता है, उनमें किसी प्रकार का रिलेक्सेशन नहीं होता है, सब को पूरा करना होता है । लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेता है, उसमें दो प्रकार की सूची बनाई जाती हैं । एक सामान्य सूची और एक अनुसूचित जाति की सूची । जहां तक कोटा में लेना है, तो उसमें नियम के अनुसार आदमी लिए जाते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इसमें लिखा है कि गत कुछ वर्षों में नियमित चयन का सम्भव न हो पाया है । तो कब से नियमित चयन नहीं हो पाया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह पहले बतला दिया गया है कि ७३ से यह नियम लागू किया गया है

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

उत्तर गलत है। कुछ वर्ष पहले नियमित चयन हुआ था और अब तक नहीं हो पाया है, तो प्रश्न यह था कि पहले कब नियमित चयन हुआ था ?

श्री ऊदल--

इसी प्रश्न से सम्बन्धित मेरा भी सवाल है। मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि लोक सेवा आयोग स्वायत्तशासी संस्था है लेकिन हरिजन वाले मामले में तो यह बात निहित नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष--

ऊदल जी आपका कहना ठीक है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

तिवारी जी के प्रश्न के उत्तर में मुझे निवेदन यह करना है कि गत वर्षों में नियमित चयन नहीं हो सका है, इससे पहले विधिवत् चयन हुआ होगा तो इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है। वैसे सही स्थिति यह है कि लोक सेवा आयोग में स्टाफ थोड़ा सा है, जिसके कारण कोई विधिवत् चयन नहीं हो सका, जैसी कि मुझे इस समय जानकारी है।

श्री राजनाथ सिंह (मिर्जापुर)--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों पर आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके, तो भविष्य में क्या पिछड़े वर्ग या उच्च वर्ग से अभ्यर्थियों का चयन किया जायगा ? दूसरे उत्तर में यह भी कहा गया कि नियमित नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं इसलिए आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो सका है, तो नियमित नियुक्ति न होने का कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह शिकायत तो पहले से ही रही है कि अनुसूचित जातियों का जो कोटा था, वह क्यों पूरा नहीं किया गया। अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं मिले, तो पिछले वर्ष तो कहीं न कहीं से पूरा किया गया लेकिन प्रयास यह है कि उनका कोटा पूरा किया जाय। दूसरे यह कि नियमित चयन क्यों नहीं किया गया तो ऐसी कोई जवाबतलबी आयोग से नहीं की गयी और न उन्होंने यह सूचना दी कि किन कारणों से पिछले वर्षों में नियमित चयन नहीं किया जा सका। आगे से उनका विज्ञापन करके नियमित चयन वह कर रहे हैं।

शाहजहांपुर जिले के थाना जैतीपुर में हरिजनों और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

**४--श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

क्या गृह मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में हरिजनों और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार जारी हैं तथा इस विषय में कुछ निश्चित शिकायतें दिनांक ११ अगस्त, १९७८ को कई संसद सदस्यों ने रजिस्टर्ड पोस्ट से गृह मंत्री से की है यदि हां, तो हरिजनों की क्या सहायता की गई तथा गुन्डों के विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में सन्दर्भित दिनांक ११-८-७८ का पत्र शासन को १६-८-७८ को प्राप्त हुआ। इस पर समुचित जांच कराकर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक विशेष जांच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान—

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्क्वायरी की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ११ तारीख से लेकर आज तक क्या कार्यवाही हुई। मेरे तथा संसद सदस्यों द्वारा लेटर लिखे गये थे। इनक्वायरी जब होगी कि किसने गलती की यह मालूम हो और उसमें टाइम लगेगा। लेकिन वहां पर अनुसूचित जाति के जो लोग मारे गये, उनके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो पत्र माननीय संसद सदस्यों का शासन को प्राप्त हुआ है उसमें इस घटना की कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। केवल इतना कहा गया है कि पाइनियर अखबार में जो खबर छपी है, उसका हवाला दिया गया है और उसी के आधार पर शिकायती-पत्र भेजा है, जो मुझे १६ तारीख को मिला और १६ तारीख को ही मैंने आदेश पारित कर दिए कि विशेष सेल जो हरिजन एट्रो-सिटीज की जांच करता है, जांच करे।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, मैंने १३ तारीख को एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा जिसमें पूरे डिटेल से अवगत करा दिया गया है कि वहां पर क्या-क्या हुआ। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो वह डी० आई० जी०, लखनऊ से जांच करा रहे हैं उसके बदले क्या सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, हरिजन उत्पीड़न की जांच हेतु जो एक विशेष सेल बना है, उसके माध्यम से कराई जाती है। माननीय सदस्य ने जो पत्र की बात कही है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर उसमें कोई गम्भीरता होगी और विशेष जांच करने की आवश्यकता हुई तो गम्भीरता को देखते हुए सी० आई० डी० को मामला दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन माननीय संसद सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा और क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच डी० आई० जी० हरिजन सेल द्वारा की जा रही है, उसमें विलम्ब होने की सम्भावना है, तो इस बात को देखते हुए कि लोग अपने को सुरक्षित वहां महसूस करें इसके लिए कोई अन्य कार्यवाही भी करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो पत्र माननीय संसद सदस्यों ने लिखा है, उसमें तीन के हस्ताक्षर तो पढ़े जा रहे हैं, यह संयुक्त पत्र है। तीन नाम हैं श्री ज्वाला प्रसाद, श्री मोहन

लाल, श्री महीलाल दो और हस्ताक्षर हैं, जो पढ़े नहीं जा रहे हैं। जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसमें मैं आज ही जांच के आदेश दे दूंगा कि तुरन्त जांच की जाय। प्राइमाफेसाई रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी अहमियत को देखते हुए ऐक्शन लूंगा।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज ही जांच के आदेश दे दूंगा। हरिजनों के मामले में यह बात कही गई है कि सुनिश्चित नियमानुसार कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक इसमें कार्यवाही करेंगे। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मुझे डिटेल मालूम नहीं है। प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसकी इनक्वायरी के आदेश आज ही करा लूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विलम्ब के क्या कारण हैं और वह पत्र कहां है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, विलम्ब नहीं हुआ है माननीय सदस्य का कहना है कि ११-८-७८ को संसद सदस्यों ने पत्र लिखा, जो मुझे १६ तारीख को मिला और उसी दिन मैंने आदेश दे दिए कि हरिजन उत्पीड़न का जो विशेष सेल है, उसके डी० आई० जी० के माध्यम से जांच कराई जाय। तो उस जांच के बारे में श्री कल्पनाथ सिंह जी ने प्रश्न किया कि उस जांच में देर होने की आशंका है और कहीं ऐसा न हो कि कोई दुर्घटना हो जाय। उसकी रोकथाम के लिए मैंने कहा कि मैं आज ही आर्डर कर दूंगा कि जांच एक हफ्ते के अन्दर पूरी कर रिपोर्ट दें। अगर उसके पश्चात् कोई कार्यवाही की जरूरत हुई तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, जो पत्र माननीय सदस्य और माननीय संसद सदस्यों का मिला उससे लगता है कि मामला गम्भीर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह का अपराध किया गया और किस तरह की घटना थी और उसकी रिपोर्ट किस दफा में की गई ?

श्री राम सिंह--

माननीय संसद सदस्यों ने जो पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि पाइनियर अखबार में...

श्री गुलाब सेहरा--

वाकया क्या है ?

श्री राम सिंह--

वाकयात का जिक्र नहीं है और न एफ० आई० आर० का जिक्र है। एफ० आई० आर० वगैरह का कोई जिक्र पत्र में नहीं है। जो पत्र माननीय संसद सदस्यों ने लिखा है उसमें न घटना का विवरण है, न रिपोर्ट और न एफ० आई० आर० का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष--

सारांश क्या है ?

श्री राम सिंह—

उन्होंने कहा है कि पायनियर अखबार में समाचार छपा है। इस समाचार के आधार पर जांच कर लें। मैंने तुरन्त आदेश दे दिये।

आचार्य धर्मदत्त वैश्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब उनके पास इस प्रकार की शिकायत आयी तो उन्होंने इस सम्बन्ध में जानकारी क्यों नहीं की कि हरिजनों पर किस तरह का अत्याचार हुआ और जिलाधिकारी ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह—

मैंने कहा कि १६ तारीख को शिकायत प्राप्त हुई और १६ को आदेश दे दिए। आज २२ तारीख है। इस बीच रिपोर्ट मेरे पास कोई नहीं आयी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १६ तारीख को चिट्ठी प्राप्त हुयी, तो उस चिट्ठी को आधार मानकर उन्होंने जिलाधिकारी कनसर्नड से कुछ टेलीफोन या वायरलेस पर मालूमात किया कि कुछ एफ० आई० आर० लिखायी गई है कि नहीं और लिखाई गयी है, तो एफ० आई० आर० क्या है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह शिकायत आमतौर पर हो जाती है कि सिविल पुलिस के खिलाफ जो शिकायत है, उसकी जिलाधिकारियों के माध्यम से जांच कराते हैं, तो हरिजनों को शिकायत हो जाती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे मामलों की जांच डी० आई० जी०, हरिजन सेल के द्वारा करायी जाय। अतः मैंने उचित समझा कि डी० आई० जी० (हरिजन सेल) के द्वारा जांच करायें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। १६ तारीख को जब जिम्मेदार लोगों के लेटर मिले, तो उनको आधार मानकर जिलाधिकारी या एस० पी० से टेलीफोन पर या वायरलेस पर सम्पर्क स्थापित करके मालूमात करने की कोशिश की कि घटना क्या है, एफ० आई० आर० लिखी गयी कि नहीं ? इनक्वायरी की बात तो बाद में आती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी का उत्तर पूर्ण है। उनका कथन है कि हरिजनों पर अत्याचार के अभियोग के लिए एक विशेष सेल है इसलिए इस मामले के विवेचन के लिए डिप्टी इंसपेक्टर जनरल (हरिजन सेल) को कर दिया गया। इसलिए कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। अब इस पर बहस नहीं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। प्रश्न यह है कि...

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैंने नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुलाब सेहरा कर चुके हैं । अब नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेरठ जिले की शोषित युवा संघर्ष समिति द्वारा मांगों के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं गिरफ्तारी

*१--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शोषित युवा संघर्ष समिति, मेरठ ने २८ मार्च, १९७८ को १० मांगों को लेकर जिलाधीश के यहां हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जिसमें लगभग १०० व्यक्ति मेरठ जेल में बन्द हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? सरकार को मांगें मानने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री राम सिंह--

शोषित संघर्ष समिति, मेरठ के तत्वाधान में किए गए प्रदर्शन इत्यादि में हिंसात्मक कार्यवाही होने के फलस्वरूप ११६ व्यक्ति बन्दी बनाये गये थे । वह सभी छोड़े जा चुके हैं । मांगों की सूची संलग्न है । यह मांग शासन के विभिन्न विभागों (सामान्य प्रशासन, हरिजन तथा समाज कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, राजस्व, गृह, न्याय, श्रम आदि) से सम्बन्धित हैं और उन विभागों को विचार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६ पर) ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि छात्रों ने हिंसक काम किया । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सा हिंसक काम किया ? जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया ? किस अधिकारी के चोट आयी ? नम्बर एक तो यह बात है । दूसरी मांग उनमें है कि डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस पर छुट्टी मंजूर कर ली जाय । तीसरी मांग है कि जैसे और नेताओं की फोटो कार्यालयों में लगी हुई हैं उसी प्रकार डा० अम्बेदकर की भी फोटो लगायी जाय ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, २८-३-७८ को शोषित युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक मीटिंग हुई । जो मांग-पत्र संलग्न है, उस पर विचार हुआ और कहा गया कि

एक जुलूस निकाला जाय और मांग-पत्र जिलाधीश को दिया जाय। २८ तारीख को मीटिंग करने के पश्चात् जब वह जिलाधीश को मांगपत्र देने के लिए गये, तो जिलाधीश की कचहरी में उनके दफ्तर में घुस गये और कुर्सी पर बैठ गये और वहीं पर इनके संयोजक ने जिलाधीश की हैसियत से एक आदेश पारित किया कि मैं डाक्टर अम्बेदकर जयन्ती के सिलसिले में आदेश देता हूं कि सार्वजनिक छुट्टी दी जाय। दफ्तर में घुसना, कुर्सी पर बैठना आदि तोड़फोड़ की कार्यवाही की। इनके विरुद्ध १५१, १०७ और ११६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और ८७ आदमियों को बन्दी बनाया गया। २९ तारीख को फिर जुलूस निकला और ऐसी ही कार्यवाही की और १२ आदमियों को गिरफ्तार किया गया। तीस तारीख को भी इन्होंने जुलूस निकाला और उसी प्रकार की कार्यवाही की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री मन्जूर अहमद--

उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या हुआ उसका उत्तर नहीं आया।

श्री राम सिंह--

उस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय ले लिया है और निर्बन्धित छुट्टी घोषित की गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विभागों को उनकी मांगें भेजी गयीं, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? दूसरी बात यह कि क्या अब ऐसी कोई नई परम्परा हो गई है कि सम्बन्धित विभाग, अपने को ही उचित कार्यवाही हेतु भेजता है, जैसा कि इसमें है।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि इस मांगपत्र में ऐसी भी मांगें हैं जिनका सम्बन्ध दूसरे विभागों से है। गृह विभाग की मांगें तो मेरे पास हैं और मैं उन पर विचार कर रहा हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे इसलिये क्या सरकार डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करेगी?

श्री राम सिंह--

उसका उत्तर मैंने पहले ही दिया कि इसको निर्बन्धित छुट्टियों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि शोषित युवा संघर्ष समिति, मेरठ में कब बनी थी? जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की समिति का कोई गठन वहां नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि डा० अम्बेदकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी की मांग की गयी है, तो इस तरह की मांग कांग्रेस के शासन काल में भी की गयी थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह सूचना तो मैंने दी कि शासन की जानकारी में समिति की जो मांगें थीं उनमें छुट्टी के बारे में शासन ने निर्णय लिया ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि क्या इस तरह की मांग पहले के शासन में भी की गयी थी ?

श्री राम सिंह--

मांग तो बहुत पहले से चल रही थी । लेकिन उसको पूरा हमने किया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बधिन्त । जब जुलूस निकला और जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने पहुंचा और कोई आदमी जिला मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ गया, तो उस समय जिला मैजिस्ट्रेट कहां थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता । मैं क्रास एक्जामिनेशन की इजाजत नहीं देता ।

देहरादून जिले के भूतपूर्व जिलाधीश, श्री गंगाराम के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*२--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहरादून के भूतपूर्व जिलाधीश (श्री गंगाराम) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के फलस्वरूप जनवरी, १९७५ में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा ५ की उपधारा २ के अन्तर्गत विजिलेंस द्वारा केस पंजीकृत किया गया और प्रथम दशा में ही अपराध होने का साक्ष्य शासन को मिला ? यदि हां, तो उन्हें पदोन्नति किस आधार पर दी गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा ५(२) के अन्तर्गत कोई केस पंजीकृत नहीं किया गया है । अभी कथित आरोपों के विषय में जांच हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाह रहा हूं कि जिलाधिकारी, देहरादून, श्री गंगाराम के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की शिकायत थी, वह किस सन् और किस तारीख की थी । इसकी जांच किस तारीख को ओपेन हुई और कब रिपोर्ट भेजी गयी कि केस उनके खिलाफ बनता है और उस पर अब तक क्या हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा गोपनीय जांच कराने के आदेश दिनांक ९-१-१९७५ को दिये गये थे और उसमें सम्पूर्ण मामले में विचारोपरान्त शासन द्वारा खुली जांच कराने का निर्णय दिनांक १५-७-१९७७ को किया गया।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न था कि जांच की रिपोर्ट आई कि नहीं ? आप कहते हैं कि सन् ७५ में जांच शुरू हुई।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मूल प्रश्न में मैंने पढ़ा कि आरोपों के विषय में अभी जांच हो रही है। इसलिये जांच की रिपोर्ट आने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

जांच के बाद शासन के पास रिपोर्ट आई कि इनके खिलाफ केस पंजीकृत किया जाय। जब यह रिपोर्ट पहुंच चुकी थी तो उस आई० ओ० को किस कारण चेंज किया गया, दिनांक ३०-१०-१९७७ को उसे क्यों चेंज कर दिया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि दिनांक ९-१-१९७५ के आदेश के बाद यह रिपोर्ट आई कि उनके विरुद्ध प्राइमाफेसी केस बनता है तभी खुली जांच के आदेश १५-७-१९७७ को दिये गये।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर नहीं आया कि प्राइमाफेसी केस के बाद आई० ओ० को क्यों चेंज कर दिया गया ? श्री गंगाराम के खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो विजिलेन्स के अधीन विचाराधीन हैं। फिर भी किस आधार पर उनका प्रमोशन किया गया और उन्हें कमिश्नर बना दिया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पदोन्नति के सिलसिले में दिनांक २७-१०-१९७६ को एक समिति नियुक्त की गयी, उसने ही पदोन्नति की और यह नियम था, जब तक खुली जांच नहीं हो रही थी, केवल गोपनीय जांच हो रही थी, तो किसी की पदोन्नति रोकने का नियम नहीं था और अब भी नहीं है। यह खुली जांच के पहले जब पदोन्नति कर दी गई, तब निर्णय यह लिया गया कि अब इनके विरुद्ध खुली जांच की जाए।

श्री श्यामधर मिश्र—

जब प्राइमाफेसी केस बन गया, तो विभागीय जांच के नतीजे से क्या स्थिति उत्पन्न हुई और उस पर क्या कार्यवाही हुई और उसके ऊपर ही फिर कार्यवाही विजीलेंस को क्यों दे दी गई ? हमें यह भी बताया जाये कि अब उनका सेवाकाल कितना बाकी है ? क्या विजीलेंस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा तब तक होगी जब तक वह रिटायर न हो जायें ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह जांच आरम्भ से ही सतर्कता विभाग द्वारा हो रही है, विभाग द्वारा नहीं। सीक्रेट और खुली दोनों प्रकार की जांच वही कर रहा है। उनकी रिपोर्ट आई कि खुली जांच के लिए प्राइमाफेसी केस बनता है, तो उसके आदेश दे दिए गए हैं। जहां तक प्रोन्नति का प्रश्न है ऐसी कोई रुकावट नहीं है। जब सीक्रेट जांच हो रही थी, उसी बीच ७६ में उनको पदोन्नत किया गया। यह जानकारी नहीं है कि अब इनका कितना सेवा काल बाकी है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

इनके विरुद्ध प्राइमाफेसी केस बन जाने के बावजूद भी शासन ने उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? क्योंकि यह जांच यही देखने के लिए की जाती है कि सस्पेन्शन के लिए केस बनता है या नहीं ? जब केस बन जाता है, तो सस्पेन्ड करके केस चलाया जाता है।

श्री लक्ष्मण सिंह---

माननीय सदस्य कुछ ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह रिपोर्ट आ जाए तो अवश्य ही ऐक्शन लिया जाता है। विजीलेंस ने खुफिया जांच की है, यह रिपोर्ट दी कि कुछ प्राइमाफेसी केस बनता है, अतः उनकी विस्तार से जांच की जाये। उस पर उसकी जांच जारी है, उसकी रिपोर्ट आने पर उनको चार्जशीट दी जायेगी। तब फिर सस्पेन्शन की कार्यवाही होगी। ऐसा होता है, यह नहीं कि प्राइमाफेसी केस बनते ही उनको सस्पेन्ड किया जाये। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध होगा।

श्री ऊदल---

क्या सरकार तीन वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार के जमाने में निकाले गये उस नियम को बदलने पर विचार करेगी, जिसमें यह है कि जब तक पूरी इंक्वायरी न हो जाय, तब तक किसी के प्रमोशन को न रोका जाय ताकि प्राइमाफेसी केस बनने पर ही ऐसे लोगों को सस्पेन्ड किया जा सके ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, अभी ऐसा सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। इसलिए कि सरकारी कर्मचारियों को भी नियमों के अधीन पूरा न्याय मिलना चाहिये।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)---

क्या इस शासन की यह नीति है कि जिन-जिन अधिकारियों के खिलाफ विजीलेन्स इंन्क्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी चलते हुए उसके पदोन्नति में यह बीज बाधक नहीं होगी ? क्या इस नियम में कोई अपवाद हुआ है या नहीं ? इस सम्बन्ध में मैं पहले जानकारी देना चाहता हूं कि प्राइमाफेसी केस तो छोड़ दीजिए, मैं पच्चीसों ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जिन्हें विजीलेन्स की जांच चलते हुए प्रमोशन से रोका गया है और इस शासन ने रोका है ? तो मैं शासन की नीति जानना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो जाने के बाद इसमें कार्यवाही क्या कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह आई० ए० एस० सर्विस के अधिकारी हैं और केन्द्र से यह हिदायत आयी है कि इस प्रकार प्रोमोशन न रोके जायें, बल्कि उनके लिफाफे बन्द करके रख दिये जायें और उनको सीनियारिटी से प्रोमोशन दिये जायें। जब रिपोर्ट पूरी हो जाय तब कार्यवाही की जाय।

परिगणित जाति के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों का स्थायीकरण

*३—श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिगणित जाति के कितने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं और कितने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों का कनफर्मेशन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

परिगणित जाति के २० अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। इनमें से तीन (३) अधिकारियों का कनफर्मेशन किया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ जिले की ग्राम सभा दौलाबलिया व पट्टी तल्ली बड़ाऊं के जंगल के हरे पेड़ों के काटे जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*४—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा दौलाबलिया, पट्टी तल्ली बड़ाऊं, जिला पिथौरागढ़ का जो जंगल है उसके हरे पेड़ दूसरे ग्राम सभा मल्लागर्खा के लोग काट रहे हैं जिसकी सूचना ग्राम सभा दौलाबलिया ने सरकार को अपने प्रार्थना-पत्र व मेजरना में दिनांक मार्च, १९७६, दिनांक ४ अगस्त, १९७६, दिनांक २७ दिसम्बर, १९७७, दिनांक ८ फरवरी, १९७८ व दिनांक १० फरवरी, १९७८ को दी है ? यदि हां, तो हरे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीचन्द—

ग्राम दौलाबलिया के निवासियों द्वारा जंगल काटे जाने के सम्बन्ध में दिनांक ४-८-१९७६, २७-१२-१९७७ तथा ८/१० फरवरी, १९७८ को शिकायती पत्र दिये गये थे। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि जंगल में नुकसान मार्च, १९७६ में किया गया था। जुर्मदारों पर जुर्माना निर्धारित किया गया था। अब मल्ला गर्खा के निवासी दौलाबलिया वन पंचायत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पटवारी द्वारा इस पर नियंत्रण रखा गया है।

नोट—नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आगरा जिले के थाना रकाबगंज के विवेचनाधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रकाबगंज (आगरा) की अपराध संख्या २०३/७६ धारा ४०९ भा० दं० सं० में विवेचना अधिकारी द्वारा जो अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके विरोध में दिनांक ६ मार्च, १९७८ को श्री घनश्याम दास, निवासी बाग मुज्जफर खां, आगरा ने सम्भागीय आयुक्त, आगरा व शासन को यह शिकायत दी है कि विवेचना अधिकारी ने ४६,००० रुपये के गबन के कागजातों का निरीक्षण नहीं किया है और बिना सम्बन्धित बाउचर फाइलों के देखे ही अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है ? यदि हां, तो शासन इसकी पुनः जांच कराएगा और शिकायतकर्ता श्री घनश्याम दास से पूछ-ताछ करेगा ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच कराई गई । जांच से शिकायती पत्र किसी कल्पित व्यक्ति द्वारा दिया जाना पाया गया एवं पुलिस के विवेचनाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

जिला कारागार, फतेहपुर में अधिक समय से परिसद्ध बन्दी, श्री शिव भूषण

*६--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा) तथा श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के जिला कारागार में एक बन्दी शिव भूषण जो १६ मार्च, १९७८ को छूटा, लगभग डेढ़ वर्ष ज्यादा क्यों बन्द रहा ? फतेहपुर के एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा जिला अधिकारी, फतेहपुर को दी गई सूचना के बाद पकड़े गए इस ज्यादा अवधि तक बन्द रहने के मामले में कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? क्या इतने बड़े मामले को पकड़े जाने के बाद कोई विभागीय प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी और क्या इतनी अच्छी सूचना देने वाले संवाददाता को पुरस्कृत किया गया ?

न्याय एवं कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य (श्री हुक्म सिंह परिहार) को दिनांक १० अगस्त, १९७८ के पत्र द्वारा भेजा जा चुका है । इसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३८ पर)

[२२ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

[५-४-७८ के शून्य प्रहर के अन्तर्गत विस्तृत सूचना दिये जाने के कारण निरस्त ।]

हरदोई जिले में बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*२—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले में बन्दूकों के नए लाइसेन्स दिए जाने के सम्बन्ध में १९७४, १९७५, १९७६, १९७७ में दिए गए कितने प्रार्थना-पत्र आज भी पेंडिंग हैं और कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जो १९७८ में दिये गए तथा उन पर लाइसेन्स दिए जा चुके हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि निलम्बित लाइसेन्सों को बहाल करने से सम्बन्धित कितने प्रार्थना-पत्र इस समय जिलाधीश, हरदोई के समक्ष पेंडिंग हैं तथा कितने प्रार्थना-पत्र किस वर्ष के हैं ?

श्री राम सिंह—

वर्ष १९७४ से १९७७ तक लाइसेंस दिये जाने हेतु 6,275 प्रार्थना-पत्र अनिस्तारित हैं। वर्ष १९७८ में १३-८-७८ तक २,१०४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से १०६ पर लाइसेन्स स्वीकार हुये। निलम्बित लाइसेन्सों को बहाल करने के सम्बन्ध में ७४३ प्रार्थना-पत्र अनिस्तारित हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१९७०	के	१००
१९७१	के	५८
१९७२	के	६६
१९७३	के	९९
१९७४	के	८६
१९७५	के	६७
१९७६	के	८३
१९७७	के	७८
१९७८	के	१०६

नक्सलपंथी बन्दियों की सजा माफी एवं पैरोल सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*३—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द नक्सलपंथी बन्दियों की ओर से सजा माफी अथवा पैरोल दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र गत ९ महीनों में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां २ सिद्ध दोष नक्सलपंथी बन्दियों से पेरोल के लिए और दो से सजा माफी की प्रार्थना गत ९ महीनों में प्राप्त हुई है। सजा माफी की प्रार्थना अभी विचाराधीन है। पैरोल की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है।

*४—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

श्री माता प्रसाद पान्डेय, ग्राम पिरैला, जिला बस्ती के सामान की मीसा के सम्बन्ध में कुर्की व नीलामी

*५—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री माता प्रसाद पान्डेय, ग्राम पिरैला, थाना इटवा, जिला बस्ती मीसा में १९७५ से १९ महीने फरार थे ? क्या सही है कि उनका सब सामान पुलिस ने कुर्क करके नीलाम कर दिया ? यदि हां, तो अब तक उनको सरकार द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा तथा सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार मुआवजा कब तक देने का विचार कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री माता प्रसाद पान्डे, निवासी ग्राम पिरैला, थाना इटवा, जनपद बस्ती को मीसा के अधीन निरुद्ध किए जाने का आदेश नवम्बर १०, १९७५ को जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था किन्तु उनके फरार होने के कारण उक्त आदेश की तामीली नहीं की जा सकी ।

उनकी चल सम्पत्ति जो कुर्क की गई थी, उन्हें वापस मिल गई । एक गाय नीलाम की गई थी । फरार मीसा बन्दियों को आर्थिक सहायता अथवा मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा एम० ई० एम० सी० (कीटनाशक दवा) की खरीद एवं कथित क्षति

*६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि विगत दो माह के अन्दर उद्योग निदेशक, कानपुर के यहां बीस टन एम० ई० एम० सी० (कीटनाशक दवा) का टेंडर २६ हजार रुपया प्रति टन की दर से सिंघल पेस्टीसाइड्स, आगरा का स्वीकार किया और के० के० राजदा एन्ड कम्पनी, दिल्ली के २२ हजार रुपये प्रति टन का टेंडर स्वीकार नहीं किया जिससे शासन को ८० हजार रुपये की क्षति हुई ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए दोषी कौन हैं और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

गन्ना विभाग के ४० मट्रिक टन एम० ई० एम० सी० (६ प्रतिशत धूल) की मांग की पूर्ति के लिये निविदा संख्या ४४२(ए) दिनांक २१-११-१९७७ निर्गत की गई थी । इस निविदा के अधीन सर्वश्री सिंघल पेस्टीसाइड्स, आगरा के पक्ष में २६,५०० रु० प्रति मै० ट० की दर पर कोई आदेश नहीं दिये गये हैं बल्कि इस फर्म को २० मै० ट० का आदेश २२,४२५ रु० प्रति मै० ट० की दर से दिया गया ।

सर्वश्री के० के० राजदा एन्ड कं०, नई दिल्ली का टेन्डर भी स्वीकार किया गया तथा उन्हें भी २० मै० टन का आदेश १९,५०० रु० की दर पर दिया गया था ।

प्रदेश की इकाई को निर्धारित नियमों के अनुसार मूल्य वरीयता दी गई थी । अतः इस क्रय में शासन को कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता । इस प्रकार किसी व्यक्ति के दोषी होने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही का भी प्रश्न नहीं है ।

आगरा जिले की तहसील एतमादपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की मांग

*७--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आगरा जनपद में किसी तहसील कार्यालय पर चालू वित्तीय वर्ष में मुंसिफ अदालत की स्थापना करने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा ? क्या तहसील एतमादपुर पर जहां अदालत हेतु भवन तथा सुविधा उपलब्ध है चालू वित्तीय वर्ष में मुंसिफ अदालत की स्थापना की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आगरा जनपद में किसी तहसील मुख्यालय पर इस वित्तीय वर्ष में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है । यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त विचार किया जायगा ।

तहसील एतमादपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना हेतु कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं प्रतीत होता है ।

*८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

फैजाबाद जिले के बीकापुर एवं सोहावल में विकास केन्द्र की स्थापना की मांग

*९--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश में कुल कितने ग्रोथ सेन्टर्स कायम करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या फैजाबाद जनपद में बीकापुर एवं सोहावल को ग्रोथ सेन्टर्स बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री राम प्रकाश--

वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश में कितने विकास केन्द्र स्थापित किये जायं, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

सचिवालय में कार्यरत युद्ध सेवा (वार सर्विस) के आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची का निर्धारण

*१०—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७२ के सातवें गुरुवार दिनांक २९ मार्च, १९७३ के लिए निर्धारित श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में तथा इस विषय पर सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, रूपनाथ यादव, सुरेन्द्र विक्रम सिंह आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर विधान सभा नियमावली के नियम ४९ के अन्तर्गत दिनांक ३ मई, १९७३ को की गयी आधे घंटे की चर्चा के उपरान्त तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी ने, सदन को बताया कि 'युद्ध सेवा' (वार सर्विस) वाले आशुलिपिकों की ज्येष्ठता यू० पी० सिविल सचिवालय में ग्यारह नामांकित आशुलिपिकों के ऊपर निर्धारित किए जान के संबंध में कोई संवैधानिक कठिनाई थी ? क्या सरकार अब चूंकि उक्त ग्यारह नामांकित आशुलिपिक सभी सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अब वार-सर्विस वाले आशुलिपिकों के ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक १४ जुलाई, १९७५ तथा १७ मई, १९७७ को स्वीकार कर उन्हें दिए गए लिखित आश्वासन के कार्यान्वयन हेतु उनकी ज्येष्ठता उनके लिए बनाए गए स्पेशल नियम के अनुरूप उनकी सिविल पद पर नियुक्ति के आदेश की तारीख से गिन कर पुनः निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित विषय के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि युद्ध सेवा (वार सर्विस) वाले ११ आशुलिपिकों की ज्येष्ठता यू० पी० सिविल सचिवालय में ११ नामांकित आशुलिपिकों के ऊपर निर्धारित नहीं की जा सकती है और न शासन द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार था। युद्ध सेवा (वार सर्विस) वाले एक आशुलिपिक की ज्येष्ठता नियमानुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२ के नियम ३४(२)(११) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की गयी है। अतः ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों को स्वीकार करके ज्येष्ठता पुनः निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

पांच महानगरियों में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की मांग

*११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रति दिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिए पांचों महानगरियों में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है अतः उसकी रोकथाम के लिए पांचों महानगरियों में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। वैसे सरकार कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

गंगेश्वर प्रसाद आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*१२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मन्त्री यह भी बतायेंगे कि प्रदेश पुलिस प्रशासन को सक्षम एवं प्रसंगठित करने हेतु भूतपूर्व विचारपति गंगेश्वर प्रसाद आयोग की रिपोर्ट कब तक लागू की जायगी ?

श्री राम सिंह—

भूतपूर्व न्यायाधिपति गंगेश्वर प्रसाद आयोग १९७०–७१ द्वारा पुलिस प्रशासन को सक्षम एवं प्रसंगठित करने हेतु दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों में से ११६ सुझाव कार्यान्वित किये जा चुके हैं ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, काशीपुर, जिला नैनीताल का थानाध्यक्ष श्री राम चरन सिंह के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र

*१३—श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री जगन्नाथ सिंह परिमार (जिला बांदा), श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री राम नाथ शर्मा, काशीपुर, जिला नैनीताल ने श्री राम चरन सिंह, थाना अध्यक्ष व पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार जान–माल की रक्षा के किए दिनांक १५–७–७७, २४–१२–७७, ७–१–७८, २–२–७८, १३–२–७८, २३–२–७८, ४–३–७८, १५ मार्च, ७८, १३ जनवरी, ७८, १९–३–७८ के जो प्रार्थना–पत्र मुख्य मन्त्री को दिए थे उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रार्थना–पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई । जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी डी० आई० आर० के एक मुकदमें में बरी हो चुका है । न्यायालय के निर्णय में पुलिस के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । प्रार्थी द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये अन्य आरोप जांच से अप्रमाणित रहे ।

करौली के केला देवी के मेले में तीर्थ यात्रियों की राजस्थान पुलिस द्वारा मारपीट व लूट की घटना

*१४—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ८ अप्रैल, १९७८ को उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आगरा मण्डल से काफी संख्या में करौली के केला देवी के मेले में तीर्थ यात्रा पर गए हुए पुरुष, महिला व बच्चों की राजस्थान पुलिस द्वारा पिटाई व लूट की गई ? क्या सरकार उक्त घटना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह—

राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच कराकर तथ्यों से इस राज्य सरकार को अवगत करायें ।

फैजाबाद जिले के कतिपय थानों में कत्ल व डकैती के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*१५—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद में कत्ल तथा डकैती की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

जी हां। जांच कराई गई और जांच से ज्ञात हुआ कि थाना अकबरपुर, बेवाना व जलालपुर में डकैती तथा थाना समनपुर अकबरपुर एवं जलालपुर में हत्या की घटनाओं में वर्ष १९७६ की अपेक्षा १९७७ में वृद्धि हुई है। श्री त्रिशूलधारी सिंह, सब-इन्सपेक्टर तत्कालीन थानाध्यक्ष समनपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए। फिर भी प्रशासनिक आधार पर उनका समनपुर थाने से स्थानान्तरण किया जा चुका है।

बस्ती जिले के श्री अशोक शुक्ला, सम्पादक, 'उत्तरापथ' समाचार-पत्र पर घातक हमला

*१६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र 'उत्तरापथ' के सम्पादक (श्री अशोक शुक्ल) पर दिनांक ३ फरवरी, १९७८ को एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में प्राणघातक हमला किया गया ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह—

दिनांक ३ फरवरी, १९७८ को लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में अंकित ५ अभियुक्तों द्वारा श्री अशोक शुक्ला सम्पादक उत्तरापथ को हाकी, लाठी व चाकू से हमला करने की सूचना थाना तेतरी बाजार जनपद बस्ती में धारा १४७/१४८/ ३२३/३२४ भा० दं० वि० में दर्ज हुई थी मुकदमें की तफ्तीश के उपरान्त ३१ मार्च, १९७८ को उक्त पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में घटी।

मीसा और डिसिर में निरुद्ध सरकारी कर्मचारी एवं औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश

*१७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान राजनीतिक कारणों से निरुद्धि के कारण सेवा-निवृत्त राज्य-कर्मचारियों तथा उद्योगों से निकाले गये कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने की नीति बनाई है ? यदि हां, तो इस बारे में जारी की गयी राजाज्ञाओं को आपातकाल में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को सुविधायें" नामक शासकीय पुस्तिका में सम्मिलित न करने का क्या कारण है.

श्री राम नरेश यादव—

आपातकाल के दौरान मीसाडिसिर के अन्तर्गत निरुद्ध उन सरकारी कर्मचारियों को जिन पर अपराधिक धारायें नहीं लगाई गई थीं, पुनः सेवा में वापस लेने के आदेश बहुत पहले ही जारी किये जा चुके हैं। परन्तु चूंकि राजाज्ञायें गोपनीय हैं और उनका आधार राजनैतिक नहीं है अतः उन्हें कथित पुस्तिका में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के निर्देश पर शासन के श्रम विभाग द्वारा दिनांक ३० मई, १९७८ को मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने की एक अपील जारी की गई है। चूंकि पुस्तिका पहले ही छप चुकी थी उक्त अपील को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सका।

श्री विश्राम हरिजन, ग्राम देवधरापुर, जिला फर्रुखाबाद की गिरफ्तारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*१८—श्री रामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

आपात काल के दौरान दिनांक २७ मार्च, १९७८ को विश्राम हरिजन पुत्र श्री बिन्द्रा, ग्राम देवधरापुर, थाना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के एवं उनके परिवार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष, कन्नौज (श्री हुकुम सिंह गौतम) द्वारा किए गए अत्याचारों लूटने तथा जबरदस्ती थाने में बन्द करने आदि के विषय पर दिए गए दिनांक ३१ मार्च, १९७६; ३० अप्रैल, १९७६; १३ अप्रैल, १९७६; १२ जून, १९७६ एवं जुलाई, १९७६ के शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बताएगी कि जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? जांच रिपोर्ट क्या है और जांच के आधार पर उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी ने की। उनकी जांच से प्रार्थना पत्रों में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये बल्कि यह ज्ञात हुआ कि दिनांक २५/२६-३-७६ को ग्राम मोतीपुरवा में पड़ी डकैती की घटना से संबंधित मुकदमा धारा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों में से दो अभियुक्त प्रार्थी के खानदानी हैं और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी। प्रार्थना-पत्र केवल उक्त दोनों अभियुक्तों को बचाने की नियत से दिया जाना ज्ञात हुआ। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय-प्रेषित किया गया।

मेरठ जिले के ग्राम सतवाई की कुमारी रुखसाना के साथ बलात्कार की घटना

*१९—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सतवाई, थाना जानी, जिला मेरठ में दिनांक १५ मार्च, १९७८ को आठ वर्षीय बालिका रुखसाना के साथ बलात्कार करने की कोई रपट उसकी मां ने थाना जानी में दर्ज कराई है? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

जी हां, अभियुक्त मन्नू पुत्र नविया, निवासी ग्राम सतवाई है। अभियोग की विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है।

श्रीमती बालेश, ग्राम बना, जिला मेरठ के साथ बलात्कार

*२०—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७ मार्च, १९७८ को ग्राम बना, थाना इचौली, जिला मेरठ में श्रीमती बालेश पत्नी नानक के साथ बलात्कार करने की कोई रपट थाना इचौली में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके साथ क्या कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

जी हां। अभियोग हप्पल पुत्र कबूल निवासी बना के विरुद्ध था। विवेचना के उपरान्त अभियोग-पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है।

आगरा नगर में बसें व पोस्ट आफिस में आगजनी की घटना और जांच आयोग का गठन

*२१—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक १ मई, १९७८ को आगरा नगर में सरकारी बसें और पोस्ट आफिस जलाये गये ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और बसें आदि जलाने का कारण क्या था ?

श्री राम सिंह—

दिनांक १ मई, १९७८ को आगरा में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक २ मई, १९७८ को विधान सभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और चर्चा के बाद मुख्य मन्त्री जी घटना के सारे विवरण सदन को दे चुके हैं।

*२२—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि दिनांक १ मई, १९७८ को आगरा नगर के जिन मुहल्लों में सरकारी बसें और पोस्ट आफिस जलाये गये थे, उन मुहल्लों पर सामूहिक जुर्माना करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितनी रकम और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

सामूहिक जुर्माने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। इन सारी घटनाओं की जांच हेतु शासन ने उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन कर दिया है।

*२३—श्री जगन्नाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

फैजाबाद जिले के थाना हैदरगंज व बीकापुर में डकैती व कत्ल

*२४—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में हैदरगंज एवं बीकापुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी है ? इस संदर्भ में गत वर्षों की तुलना में वर्ष १९७७-७८ में डकैती व कत्ल में इन थाना क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार कानून एवं व्यवस्था के परिपालन हेतु क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह—

जी नहीं । स्थिति नियंत्रण में है । घटनाओं का तुलनात्मक विवरण संलग्नक में उपलब्ध है । अपराधों की स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु नियमानुसार पूरी कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४० पर) ।

उन्नाव जिले के एडवोकेट, श्री राज किशोर अवस्थी की हत्या

*२५—रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री को विदित है कि दिनांक ३ मई, १९७८ को श्री राज-किशोर अवस्थी, एडवोकेट एवं मेम्बर बार एसोसियेशन, उन्नाव की हत्या बीच उन्नाव शहर में हुई जिससे वहां की जनता में काफी बेचैनी पैदा हो गई है ? यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

श्री राम किशोर ने ३ मई, १९७८ को थाना कोतवाली पर रिपोर्ट पंजीकृत कराई कि ; ३ मई, १९७८ की रात्रि को लगभग ९ बजे जब उनके भाई श्री राज किशोर अवस्थी बड़े चौराहे के निकट खड़े थे, तो दो आदमी आये । उनमें से एक ने श्री राज किशोर अवस्थी पर गोली चलाई और दोनों भाग गये । चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने उनका पीछा किया लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा सके । घायल श्री राज किशोर को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । इस रिपोर्ट पर दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०२ भा० द० वि० का अपराध पंजीकृत किया गया और दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक १० मई, १९७८ और ३० जून, १९७८ को हुई । दो अन्य अभियुक्त भी ११ जून, १९७८ को गिरफ्तार किए गए हैं । १० मई १९७८ को गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । श्री राज किशोर अवस्थी एडवोकेट की हत्या की जन साधारण में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई । अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही से जन जीवन सामान्य रहा ।

सचिवालय में डेस्क आफिसर के पद पर नियुक्त आशुलिपिकों की पदोन्नति की मांग

*२६—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कोई डेस्क आफीसर की योजना सचिवालय में दिनांक ४ अप्रैल, १९७७ से बनाई थी ? इस योजना के अन्तर्गत कुछ आशुलिपिकों की नियुक्ति की गई थी उनमें से बहुत बड़ी संख्या में आशुलिपिकों को वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त कर दिया है । शेष आशुलिपिकों को भी शासन वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करने के विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

कृषि उत्पादन सचिव शाखा के पशुधन एवं क्षेत्रीय विकास विंगों में डेस्क आफिसर प्रणाली १ अप्रैल, १९७७ से प्रयोगात्मक रूप में लागू की गई है ।

इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आशुलिपिक के पद अस्थायी रूप से ३००—५०० रुपये के वेतनमान में २८ फरवरी, १९७९ तक के लिये सृजित हैं । इन ११ (ग्यारह) पदों पर नियुक्त आशुलिपिकों में से ९ वैयक्तिक सहायक की परीक्षा उत्तीर्ण करके वैयक्तिक सहायक के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त हो गये हैं । शेष २ आशुलिपिक अभी भी उसी योजना के अन्तर्गत कार्यरत हैं । एक और आशुलिपिक की नियुक्ति रिक्त स्थान पर की गई है ।

इन तीनों आशुलिपिकों को वैयक्तिक सहायक के पद पर नियमानुसार पदोन्नति नहीं हो सकती जब तक कि वे वैयक्तिक सहायक के लिये निर्धारित परीक्षा न उत्तीर्ण कर लें ।

इलाहाबाद जिले के कौशम्बी पबोसा पहाड़ी एवं अलवारा झील का औद्योगिक सर्वेक्षण

*२७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत तहसील मंझनपुर के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दिनांक ११ फरवरी, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता के साथ उप निदेशक, उद्योग, इलाहाबाद तथा विकास मन्डल, इलाहाबाद के सामान्य प्रबन्धक, श्री नरेश कोचर और ए० सी० खरे, अर्थ अन्वेषक उप निदेशक उद्योग, इलाहाबाद ने उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है जिसकी रपट दिनांक २ मार्च, १९७८ को निदेशक, उद्योग, आर० ई० ७०, इलाहाबाद के कार्यालय से पत्र संख्या ९७७९—९७ द्वारा आई० पी० १२/७७/७८ को डायरेक्टर, इन्डस्ट्रीज, कानपुर को भेजी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गई, तथा उसकी सम्पूर्ण रूप रेखा क्या है ?

श्री राम प्रकाश—

दिनांक ११ फरवरी, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता श्री नाथू राम शिक्षक, सदस्य विधान सभा के साथ उप उद्योग निदेशक, इलाहाबाद, श्री नरेश कोचर, सामान्य

प्रबन्धक, इलाहाबाद मण्डल विकास निगम तथा एस० सी० खरे, अर्थ अन्वेषक, उप निदेशक उद्योग, इलाहाबाद ने कौशाम्बी, पबोसा पहाड़ी एवं अलवारा झील का दौरा किया था। भ्रमण प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न है।

प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियां स्थानिक नियोजन से सम्बन्धित है तथा जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों से कठिनाइयों का समाधान कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार अलवारा झील के विकास की योजना बना कर मत्स्य विभाग की स्वीकृति हेतु भेज दी गई है।

श्री श्रीकृष्ण, परगनाधीश, जिला मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२८—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद-मथुरा के किसानों द्वारा तत्कालीन परगनाधीश, श्री श्रीकृष्ण के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच जिलधीश, मथुरा ने १८, १९ मई, १९७८ को की तथा सर्वश्री समुद्र सिंह, गिर्राज सिंह, ओम प्रकाश, हजारी लाल, आनन्द शर्मा एडवोकेट के बयान लिए और उन बयानों में सभी साक्ष्य देने वालों द्वारा यह प्रमाण भी दिए कि क्षेत्र के दलालों द्वारा न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के फैसले करने के लिए रुपया रिश्वत के लिये गये? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा मांगी गई आख्या पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ने सबूत प्राप्त होने के बावजूद भी धारा १६१ भा० दं० सं० व ५(२) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कार्यवाही अब तक न किए जाने का क्या कारण है?

श्री राम नरेश यादव—

यह सही है कि दिनांक १८, १९ मई, १९७८ को जिलाधीश, मथुरा ने तत्कालीन परगनाधीश सादाबाद, श्री श्रीकृष्ण के विरुद्ध प्राप्त कतिपय किसानों की भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच की थी और प्रश्न में संदर्भित व्यक्तियों के बयान लिए, परन्तु जांच से न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों का फैसला करने के लिए परगनाधिकारी के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतः जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या पर १६१ भा० द० सं० व ५(२) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२९—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[मंगलवार के लिए स्थगित]

मेसर्स रईस ब्रदर्स एण्ड सन्स, रामपुर, की राहजनी में लूटी गयी धनराशि की बरामदगी एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*३०—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स रईस ब्रदर्स एण्ड सन्स, रामपुर की दिनांक २१ जून, १९७६ को लूटी गई धनराशि जो भूतपूर्व पुलिस

छापी नहीं गई।

श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर)--

अधीक्षक, रामपुर (श्री राधे मोहन शुक्ल) व इन्सपेक्टर इन्चार्ज कोतवाली, रामपुर (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा) द्वारा बरामद की गई थी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच में उपरोक्त दोनों अधिकारी अनियमितताओं और बरामद की गई रकम में से कुछ भाग को गबन कर लेने के सामूहिक रूप में दोषी पाए गए ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ मय पत्र दिनांक १५ अक्तूबर, १९७७ की प्रतिलिपि सहित शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले की असल केस डायरी अपराध अनुसंधान विभाग से मंगाकर शासन स्तर पर इसका निरीक्षण कराकर भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, रामपुर (श्री राधे मोहन शुक्ल) के विरुद्ध भी मुकदमा कायम कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

मेसर्स रईस ब्रदर्स एण्ड सन्स रामपुर के कर्मचारी से दिनांक २१ जून, १९७६ को राहजनी में लूटी गई धनराशि की बरामदगी में की गई अनियमितताओं तथा गबन की शिकायतों पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जांच में गबन की शिकायत पर प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी सामूहिक रूप से दोषी नहीं पाये गये । पुलिस अधीक्षक कुछ अनियमितताओं के दोषी पाये गये जिसके लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्नकर्ता का प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया गया । पत्र की प्राप्ति के पूर्व पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का जो निर्णय लिया जा चुका था उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गई । चूंकि पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर मुकद्दमा दर्ज कराया जाता इसलिये मुकद्दमा कायम करना सम्भव नहीं है ।

बस्ती जिले के ग्राम बल्ली जोत में कत्ल सहित डकैती एवं मृतक के आश्रितों को दी गयी सहायता

*३१--श्री विश्वनाथ पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के इटवा थाने के अन्तर्गत ग्राम बल्ली जोत में जून, १९७७ में डकैतों ने डाका डाला था जिसके परिणामस्वरूप ग्राम वासियों तथा डकैतों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें घटना स्थल पर ही एक डकैत ग्रामवासियों के द्वारा और एक ग्रामवासी डकैतों के द्वारा जान से मार डाला गया ? यदि हां, तो मृतक ग्रामवासी के आश्रित परिवार के सहायतार्थ राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां । मृतक ग्राम वासी की विधवा को तत्कालिक सहायता के रूप में तीन सौ रुपये दिये गये । इसके अतिरिक्त तीस रुपये मासिक असाधारण पारिवारिक पेंशन भी स्वीकृति की गई ।

फतेहपुर जिले के पुलिस सब इन्सपेक्टर, श्री जय नन्द त्यागी का निलम्बन

*३२—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उनके विभाग के फतेहपुर जनपद में सेवारत पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री जय नन्द त्यागी को गत २१ माह से पूर्व पुलिस कप्तान (श्री ललित मोहन सिंह) ने निलम्बित किया था और आज दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ तक न उन्हें निर्वाह भत्ता दिया गया है और न चार्ज शीट दी गई ? क्या माननीय मन्त्री जी को यह भी जानकारी मिली है कि उक्त सब इन्सपेक्टर पुलिस को इसलिए निलम्बित किया गया कि उसने आपात-काल में तत्कालीन पुलिस कप्तान के लोगों को मीसा में बन्द करने में आदेश का पालन करने में आनाकानी की थी ? क्या सम्बन्धित पुलिस सब इन्सपेक्टर से कभी किसी अधिकारी ने पूछ-तांछ की है ? यदि हां, तो कब और किसने ? निर्वाह भत्ता के सम्बन्ध में क्या कोई आदेश दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

श्री राम सिंह—

जिला फतेहपुर में सेवारत पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री जय नन्द त्यागी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन सिंह द्वारा दिनांक ११ अगस्त, १९७६ को निलम्बित किये गये थे। एक डकैती के अपराध को चोरी का अपराध पंजीकृत करके उसकी विवेचना श्री त्यागी ने स्वंय की। इस तथ्य के प्रकाश में आने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी जांच करायी गई और उसमें श्री त्यागी दोषी पाये गये। इस आरोप पर पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री त्यागी को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये जिसकी श्री त्यागी ने अवहेलना की। फलस्वरूप उन्हें निलम्बित किया गया। उनके निलम्बन का अन्य कोई कारण नहीं था।

जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश दिनांक २२ जून, १९७८ को पारित किये गये थे और दिनांक १ अगस्त, १९७८ को श्री त्यागी को जीवन निर्वाह भत्तों का भुगतान कर दिया गया है। पुलिस लाइन से उनकी अनुपस्थिति तथा उनके असहयोग के कारण श्री त्यागी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

फतेहपुर जिले के ग्राम सरहम बुजुर्ग के कुम्हार परिवार के साथ मारपीट की घटना और थाने में लिखाई गई रिपोर्ट

*३३—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर के ग्राम सरहम बुजुर्ग के निर्बल वर्ग कुम्हार के परिवार के कुछ निरीह व्यक्तियों ने दिनांक १ जून, १९७६ को थाना में अपने गांव के जय नारायण दीक्षित तथा अन्य ११ व्यक्तियों के विरुद्ध राइफल, बन्दूकों से हमला करने और जान से मारने के इरादे से गोली मारने की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में विवेचना-धिकारी ने दिनांक २४ अगस्त, १९७६ को उक्त मामले में चार्जशीट लगाई थी किन्तु पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक श्री प्रेम दत्त तिवारी के प्रभाव

से उस चार्जशीट को वापिस या फाइनल रिपोर्ट लगवा दी ? क्या अब उक्त मामले की पुनः जांच करवाकर निर्बल वर्ग को सहायता देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह—

जी हां, १ जून, १९७६ को थाना चांदपुर में धारा १४७/१४८/१४९/३०७, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत हुआ। यह सही नहीं है कि किसी के प्रभाव से मामले में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गई बल्कि मामले के गुणावगुण के आधार पर ऐसा हुआ। पुनः विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*३४—श्री रवीन्द्र सिंह—

[२रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३५—श्री ऊदल—

[२५ अप्रैल, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ द्वारा उत्तरित]

श्री अनुल्लाह अन्सारी, ग्राम परसौनी, जिला देवरिया के घर पर कत्ल सहित डकैती

*३६—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसौनी, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया में दिनांक २८ फरवरी, १९७८ को १० बजे रात्रि में श्री अनुल्लाह अन्सारी के घर हुई डकैती में उनके घर के दो व्यक्ति एक नौकर तथा दो डाकू घटनास्थल पर ही मारे गए जिसमें से एक डाकू तथा नौकर की लाश लेकर डाकू भाग गए थे ? क्या इस डकैती का पता अब तक पुलिस लगा पायी ? यदि हां, तो घटना के पीछे क्या रहस्य है ? क्या यह सही है कि एक डाकू की लाश २८ फरवरी, १ मार्च, १९७८ की रात्रि में पिडारी ग्राम, थाना रामकोला से जीप से देवरिया पांडे ग्राम में जो पड़रौना थाने में पड़ता है, लाकर जला दी गई और पुलिस तमाशा देखती रही ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत डकैती में श्री अन्सारी के घर के दो व्यक्ति तथा एक डाकू घटनास्थल पर ही मारे गए। डाकू लोग मरे हुए डकैत को अपने साथ नहीं ले गये वरन् उसके चेहरे व बदन पर कपड़ा रखकर आग लगा दिया था जिससे उसका चेहरा शिनाख्त लायक नहीं रह गया था, डाकू वादी के नौकर उमराव की लाश नहीं बल्कि उसे जिन्दा हालत में ही पकड़ ले गए थे। उसकी लाश घटना के दूसरे दिन १ मार्च, १९७८ को सायंकाल लगभग ८ बजे ग्राम पड़रौना, थाना पड़रौना के पास सरदार पुत्र श्री जमुना पासी के गन्ने के खेत में मिली थी। अब तक की विवेचना के अनुसार पुलिस ने ५ डकैत गिरफ्तार किया है एक डकैत के विरुद्ध ८२/८३ की कार्यवाही हो चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना के वादी श्री न्याज अहमद पुत्र श्री अनुल्लाह अन्सारी द्वारा राम कोला, शुगर

मिल की केन यूनियन के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ने के कारण रंजिशवश घटी। यह सही नहीं है कि किसी डाकू को थाना पडरौना के अंतर्गत ग्राम देवरिया पाण्डे में लाकर जलाया गया।

हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट, मिर्जापुर के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विधान परिषद् में पारित प्रस्ताव

*३७—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हिन्दुस्तान एल्युमीनियम निगम (हिंडालको) रेणुकूट, मिर्जापुर के राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्ताव भेज कर अभी हाल ही में भारत सरकार से अनुरोध किया है और माननीय विद्युत् मंत्री ने अलग से केन्द्रीय उद्योग मंत्री को पत्र लिखा है कि हिन्डालको ने कई अनुचित साधनों का प्रयोग किया है ? क्या यह भी सही है कि उस पत्र में विधान परिषद् द्वारा पास प्रस्ताव (हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण) को भी भेजा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

श्री राम प्रकाश—

शासन ने अभी हाल में हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट के राष्ट्रीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा है। विधान परिषद द्वारा हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के विषय में एक प्रस्ताव ८ सितम्बर, १९७७ में पारित किया गया था जिसे शासन ने २८ अक्तूबर, १९७७ को भारत सरकार के विचारार्थ भेज दिया था। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई है। यह सही है कि अलग से माननीय विद्युत् मंत्री जी ने केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी को मई, १९७८ में एक पत्र हिन्डालको के विषय में लिखा था जिसमें विधान परिषद् द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव का उल्लेख था। इस पत्र का कोई उत्तर अभी तक माननीय विद्युत् मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर में विचाराधीन प्रशिक्षण योजना

*३८—श्री मन्जूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, रामपुर में प्रशिक्षण योजना को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसमें स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रेस में नौकरियां दी जायगी ? यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कब से आरम्भ किया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां, राजकीय मुद्रणालय, रामपुर में शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण की योजना शासन के विचाराधीन है। प्रशिक्षण में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि वे निर्धारित योग्यता रखते हों परन्तु प्रशिक्षण के उपरान्त प्रेस में अनिवार्य रूप से नौकरी दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। रिक्तियां होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में अनुभाग प्रभारी के पद पर नियुक्ति

*३९—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल तथा अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ ने कितने कनिष्ठ आलेखकों एवं प्रालेखकों को अनुभाग प्रभारी के पद पर वर्ष १९७७–७८ में प्रोन्नत किया है जब कि उन्हीं के कार्यालय म मौजूद ज्येष्ठ आलेखक तथा प्रालेखक जो प्रशंसकीय कार्य के लिए मानदेय भी प्राप्त कर चुके हैं उनको उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओचन्द—

जी हां । १ जुलाई, १९७७ को मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में अनुभाग प्रभारी के पद पर एक कनिष्ठ नोटर ड्राफ्टर की नियुक्ति केवल तदर्थ आधार पर, अप्रैल, १९७८ तक के लिए, कार्य संचालनार्थ की गई थी ।

यह सही है कि दो वरिष्ठ नोटर ड्राफ्टरों को, जिन्हें मानदेय भी मिला था, उपर्युक्त पद पर नियुक्त नहीं किया क्योंकि रिक्ति थोड़ी अवधि के लिए थी और वरिष्ठ कर्मचारियों को थोड़ी अवधि के लिए उनके कार्य से हटाना उचित नहीं समझा गया । बाद में मूल पदधारक की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने के फलस्वरूप रिक्ति की अवधि बढ़ गई । अतः नियमित नियुक्ति के लिए चयन कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत तदर्थ प्रबन्ध समाप्त हो जायेगा ।

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) के कार्यालय में वर्ष १९७७–७८ में अनुभाग प्रभारी के पद पर कोई रिक्ति ही नहीं हुई ।

नैनीताल जिले की पटोड़ी हल्द्वानी पेयजल योजना के मरम्मत की मांग

*४०—श्री रामदत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद में बेताल घाट ब्लाक के अन्तर्गत पटौड़ी हल्द्वानी पेयजल योजना जो पिछले २ वर्षों से मरम्मत न किये जाने से बेकार पड़ी है उसकी मरम्मत कराने के काम में कितनी धनराशि का अनुमानतः व्यय होगा और उसकी मरम्मत न किये जाने का क्या कारण है ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

प्रश्नगत योजना जो क्षतिग्रस्त स्थित में है कई वर्ष पूर्व बनाई गई थी । उसमें किये गये कार्यों का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए उसके स्थान पर अब ग्रामों की बढ़ी हुई जनसंख्या को सुचारु रूप से जल उपलब्ध कराने के लिये २.६१ लाख रुपय की एक नई योजना बनाई गई है । योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर काशी जिले के कतिपय स्थानों पर स्कूलों की स्थापना हेतु संस्तुति

*४१—श्री रामसजीवन तथा श्री ऊदल (जिला बांदा)—

तारांकित प्रश्न संख्या १३, नत्थी (घ), दिनांक ९ मई, १९७८ के उत्तर के सन्दर्भ म क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरकाशी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को १६ जुलाई,

१९७७ एवं २६ जुलाई, १९७७ को जो स्मृति-पत्र पट्टी गाजण कठूर मानपुर, बिसनपुर वाले बारागड़ी के नागरिकों ने दिया था उस पर कितने हाई स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों एवं बेसिक प्राइमरी स्कूलों हेतु सरकार को संस्तुति करके उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने भेजी ? वह संस्तुति क्या है ? सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? क्या उन्होंने धौतरी में हाई स्कूल खोलने की भी संस्तुति की है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

प्रश्नगत स्मृति पत्रों में धौन्तरी में हाई स्कूल खोलने, श्री खाल न्यूसारी तथा मानपुर बाडागड्डी में एक-एक जूनियर हाई स्कूल खोलन, कमद व बडेथ में जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण कराने तथा पट्टी गाजणा-कथुड में चल रहे शाखा बेसिक स्कूलों को स्थायी बेसिक स्कूलों के रूप में परिणित किये जाने और ऐसे सभी बेसिक स्कूलों के भवनों को शीघ्र बनाने की मांग थी ।

बेसिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधानानुसार नये प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिए स्थानों का चयन जिले की जिला बेसिक शिक्षा समिति करती है । भवन निर्माण हेतु इन विद्यालयों का चयन भी उसी समिति द्वारा किया जाता है ।

अतः प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों से सम्बन्धी मांगों पर कार्यवाही शासन स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर ही की जाती है ।

प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना प्रथम सत्र १९७८ के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित (सदस्य श्री उबल के) प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में दी गई थी ।

केवल धोन्त्री में हाई स्कूल खोलने की मांग शासन को संस्तुत होनी थी । धौन्तरी में हाई स्कूल खोलने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर काशी ने की थी (प्रति संलग्न है) । परन्तु उस वर्ष (१९७७-७८) जिला उत्तर काशी में हाई स्कूल मनेरी में तथा एक-एक इन्टर कालेज बडकोट तथा डुन्डा में खोलने का निर्णय लिया गया था । धौतरी में हाई स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लिया गया था । धौन्तरी में इस वर्ष हाई स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४१ पर) ।

श्री तारकेन्द्र वैष्णव, डिप्टी कलेक्टर, इगाडा, जिला अल्मोड़ा का टी० ए० व डी० ए०

*४२—श्री पूरन चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७७-७८ में ए० पी० ओ, इगाडा/सिटी मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा/परगना मैजिस्ट्रेट, बागेश्वर (श्री तारकेन्द्र वैष्णव) को डेपुटेशन पर जाने के बाद भी मैजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी तीनों पदों पर अपना टी० ए०, डी० ए० लेते रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्कालीन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा जिन्होंने उक्त अधिकारी को तीन पदों पर एक साथ कार्य करने का अवसर दिया तथा श्री तारकेन्द्र वैष्णव के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री तारकेन्द्र वैष्णव, डिप्टी कलेक्टर ने इगाडा में अतिरिक्त परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर दिनांक १ अगस्त, १९७७ (पूर्वान्ह) को इगाडा में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया और जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने श्री वैष्णव को अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, इगाडा के पद के अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, अल्मोड़ा एवं अग्रिम आदेश होने तक परगना मजिस्ट्रेट, बागेश्वर का कार्यभार भी दे दिया। श्री वैष्णव वर्ष १९७७-७८ में १ अगस्त, १९७७ से १९ मार्च, १९७८ तक उक्त पदों पर कार्यरत रहे। श्री वैष्णव द्वारा अपना टी० ए०/डी० ए० केवल अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, इगाडा के पद पर ही लेना पाया गया है। प्रत्यक डिप्टी कलेक्टर को, जो नियमित सेवा के बाहर किसी भी हैसियत से तैनात है, उसे तैनाती के जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं और जिलाधिकारी विशेष परिस्थितियों में ऐसे डिप्टी कलेक्टरों को जिले की कानून एवं व्यवस्था के लिए लगा सकते हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले में हत्या की घटनाएं और 'दि भारत थियेटर' के मैनेजर की हत्या

*४३—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई व जून, १९७८ में फैजाबाद शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी हत्या की घटनाएं हुई? यह भी बताएं कि कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाहियां की तथा पुलिस को क्या निदश दिए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह मई, १९७८ में हत्या की ६ घटनायें हुई, जिनमें २ फैजाबाद शहर में तथा ४ घटनायें ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुई। माह जून, १९७६ में १६ घटनायें हुई जिनमें २ शहर क्षेत्र में तथा १४ ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुई। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है।

*४४—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई सन् १९७८ में फैजाबाद शहर क्षेत्र में चल रहे दि भारत थियेटर के मैनेजर की हत्या कर दी गई है? यदि हां, तो हत्या का कारण क्या था? अभी तक इस घटना के सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

जी हां। अपराध की विवेचना की जा रही है। एक जीप बरामद की गयी थी और एक अभियुक्त बन्दी बनाया गया है। ८ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया है। विवेचना जारी है।

*४५—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित।]

बिना वर्दी के अधिकारी द्वारा रामपुर जेल का निरीक्षण

*४६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कारागार मन्त्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, १९७७ में एक राजाज्ञा जेल विभाग द्वारा हुई थी जिसके अनुसार जेल में निरीक्षण करते समय प्रत्येक अधिकारी को वर्दी में होना अनिवार्य कर दिया था ? यदि हां, तो क्या दिनांक २६ जनवरी, १९७८ को जिला बन्दीगृह, रामपुर का आकस्मिक निरीक्षण जिस अधिकारी ने किया वह पूर्ण वर्दी में थे ? यदि नहीं, तो जांच कराकर उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां, उन्हें आगाह कर दिया गया ।

*४७—श्री मुहम्मद रफी खां—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित] ।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम रामपुर कसिया में अग्निकांड एवं श्री जगन्नाथ के परिवार के सदस्यों की मृत्यु

*४८—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर थाने के रामपुर कसिहा गांव में एक परिवार के चार सदस्यों को १७/१८ अप्रैल, १९७८ की रात में मकान जलाकर भस्म कर डाला गया है ? अगर हां, तो घटना क्या है और अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १८-४-७८ को प्रातः ग्राम चौकीदार श्री राम अजोर ने थाना सांगीपुर पर सूचना दी कि दिनांक १७/१८ अप्रैल, १९७८ की रात में जगन्नाथ वादी निवासी अहिरन का पुरवा मजरे रामपुर कसिया के घर में आग लगी थी जिसमें उसकी स्त्री, दो लड़के व एक लड़की जल कर मर गयी । सूचना पाकर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की । सम्पूर्ण घटना रहस्यमय प्रतीत हुई । थाने में दरयाफ्त हाल कायम करके विवेचना शुरू की गयी । बाद में वादी के पुत्र द्वारा कुछ व्यक्तियों पर संदेह प्रकट करने पर दिनांक ९-७-७८ को दरयाफ्त हाल के बजाय घटना मु० अ० सं० ११४/७८ धारा ३०२/४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया । विवेचना जारी है ।

*४९—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[२रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जिले के थाना अकबरपुर क्षेत्र से बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*५०—श्री हरीराम वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, थाना अकबरपुर के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९७७ से १६ जून, १९७८ तक बन्दूक के लाइसेन्स के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों पर लाइसेन्स दिए गए? इस अवधि में कितने लाइसेन्स निरस्त किए गये ?

श्री राम सिंह—

कुल ७७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से केवल एक प्रार्थना-पत्र पर लाइसेन्स दिया गया। इस अवधि में कोई लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया।

जिला कारागार, वाराणसी के जेलर श्री जीतराजराय के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*५१—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, वाराणसी के जेलर (श्री जीतराज राय) के विरुद्ध आपातकाल में राजनीतिक बन्दी श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप की शिकायत पर कोई मजिस्टीरियल जांच और उसके बाद डी० आई० जी० (कारागार) द्वारा जांच हुई ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की मौजूदा शासन ने पदोन्नति कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप के शिकायती पत्र दिनांक ४-७-१९७७ में उल्लिखित आरोपों की जांच उप कारागार महानिरीक्षक, गोरखपुर द्वारा करी गई। जांच के फलस्वरूप श्री जीतराज राय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उनकी पदोन्नति करने का निर्णय वर्ष १९७७ में कथित जांच पूर्ण होने तथा विभागीय कार्यवाही आरम्भ होने के पूर्व ही ले लिया गया था।

फैजाबाद जिले में हत्यायें

*५२—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि पिछले एक माह में जनपद फैजाबाद में हत्या की जितनी घटनायें हुई हैं उससे एक माह के अन्दर होने वाली हत्याओं के इस जनपद के सभी पुराने कीर्तिमान टूट गए हैं ? क्या यह भी सही है कि इनमें से ज्यादातर हत्यायें फैजाबाद शहर में और दिनदहाड़े हुई हैं ? यदि हां, तो इस अराजकता की स्थिति के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी करार दिए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

आंकड़ों से यह सही है कि १६-५-७८ से १५-६-७८ तक हत्या की घटनाओं म तुलनात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई है। इस अवधि में १२ घटनायें घटित हुई जिनमें से दो घटनायें फैजाबाद शहर में घटित हुई। यह सही नहीं है कि फैजाबाद शहर में यह घटनायें दिन में घटित हुई। यह दोनों रात्रि के समय घटित हुई। घटनाओं की तेजी से विवेचना की जा रही है और जांच से कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी अकर्मण्यता का दोषी नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

* ५३—श्री ओम प्रकाश —

[२रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री सरबजीत सिंह, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ग्राम कतुरी कलां, जिला बाराबंकी, को पेन्शन का भुगतान

*५४—श्री रामनरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरबजीत सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, ग्राम कतुरी कलां, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी को २०० रुपये प्रतिमाह मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस सहायता को रोकने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

कुछ काल के लिए कोषाधिकारी द्वारा मनीआर्डर से भेजी जाने वाली पेन्शन की धनराशि की प्राप्ति की सूचना न मिलने के कारण व्यवधान हो गया था, परन्तु अब मई, १९७८ से वह दूर हो गया है और बराबर प्रतिमाह पेन्शन का भुगतान हो रहा है।

*५५—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लखीमपुर मैलानी रोड पर मीरा थानान्तर्गत ट्रकों की लूट की घटना

*५६—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बतने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि लखीमपुर जिले के मीरा थाना के अन्तर्गत लखीमपुर-मैलानी रोड पर जून सन् १९७८ के पहले हफ्ते में एक ही रात में ४२ ट्रकों व जीपों को लूटने की लुटेरों द्वारा घटना घटित हुई ? यदि हां, तो इस प्रकार की सड़कों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कौन-कौन उपाय किए हैं ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना में १२-१३ मोटर गाड़ियां लूटी गईं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में कानवाय प्रणाली, रोड गश्त, गाड़ाबन्दी तथा मोटर वाहनों की चेकिंग आदि की व्यवस्था लागू की गई।

शाहजहांपुर के ग्राम कल्याण नगरा के श्री हेमराज द्वारा श्री सेवा राम व गंगा सहाय के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट तथा शस्त्रों के लाईसेन्स का निलम्बन

*५७--श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम कल्याण नगरा के निरीह पिछड़ी जाति के लोगों को उसी थाने के ग्राम मड़ई के गंगा सहाय तथा छोटे आदि जबरदस्ती पकड़ के तथा बांध के ले गए, जिसकी रिपोर्ट दिनांक १० जून, १९७८ में थाना जैतीपुर में अंकित है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मुल्जिमान इसी प्रकार की कई वारदातें करते आ रहे हैं फिर भी बन्दूक तथा राईफल के लाइसेन्सदार हैं ? यदि हां, तो मल्जिमान के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने एवं उनके लाइसेन्स रद्द न किये जाने के क्या करण हैं ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९-६-७८ को श्री सेवाराम पुत्र श्री चिन्ता गड़रिया ने थाना जतीपुर में चोरी की एक रिपोर्ट अंकित करायी जिसमें अपने भतीजे जगपाल पुत्र शोभा गड़रिया को संदिग्ध बताया। इस पर अपराध संख्या ११६ अन्तर्गत धारा ३८० भारतीय दन्ड विधान दर्ज हुआ।

दिनांक १०-६-७८ को उसी गांव के दूसरे पक्ष के श्री हेमराज पुत्र खुर्रम गड़रिया ने श्री सेवा राम, गंगा सहाय व छोटे तथा अन्य के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट थाने पर अंकित करायी कि वे वादी के भतीजे, दयाराम को पकड़ कर ले गये तथा थाना जैतीपुर के पास छोड़ दिया। इस पर अ० सं०-२२ अन्तर्गत धारा १४७/१४८/३४२ भारतीय दन्ड विधान दर्ज हुआ।

सर्वश्री गंगा सहाय व छोटे के विरुद्ध पूर्व में दर्ज मात्र एक अपराध न्यायालय में विचाराधीन है। इनके शस्त्रों के लाइसेन्स निलम्बित करने हेतु नोटिस जारी की जा चुकी हैं।

यू० पी० स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*५८--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, यू० पी० स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध म सीमेन्ट उद्योग लोक मजदूर सभा के मन्त्री द्वारा कोई शिकायती-पत्र माह अप्रैल, १९७८ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र क्या है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां।

यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन, मिर्जापुर में कथित भ्रष्टाचार अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में मन्त्री सीमेन्ट उद्योग लोक मजदूर सभा मिर्जापुर का दिनांक १ अप्रैल, १९७८ का शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। इस पत्र में अनावश्यक नियुक्तियां, अपव्यय, क्रय एवं ठेकों में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। इस शिकायती-पत्र की जांच शासन के विचाराधीन है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के संख्या सहायकों का प्रत्यावर्तन

*५९--श्री अठई राम--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के १० राजपत्रित अधिकारियों को उनके पदों से प्रत्यावर्तित कर दिया गया जब कि वर्ष १९७३ में एक उच्चस्तरीय समिति के द्वारा चुने जाने के पश्चात् उक्त पद पर नियुक्त किए गए थे और लोक सेवा आयोग या किसी दूसरी उच्च समिति ने उन्हें उक्त पद के लिए आयोग्य नहीं घोषित किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के १० राजपत्रित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

प्रत्यावर्तन करने का कारण यह है कि केवल 'तदर्थ' रूप से एक विभागीय चयन के आधार पर इनकी उच्च पदों पर नियुक्ति कर दी गयी थी। विभागीय नियमों के अनुसार संख्या सहायक के पदों पर नियमित नियुक्ति होने के बाद ही उनकी नियमित पदोन्नति उच्च पदों पर की जा सकती है, अतः लोक सेवा आयोग ने संख्या सहायक पद हेतु अन्य अर्ह विभागीय अभ्यर्थियों के साथ इन दस अधिकारियों का भी जब साक्षात्कार लिया और इन्हें संख्या-सहायक के पद हेतु ही अनुपयुक्त घोषित कर दिया, तब इन अधिकारियों को स्वाभावतः उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। संख्या सहायकों में से ही संख्याधिकारी के पद पर प्रोन्नति करने का नियम है और जब ये अधिकारी लोक सेवा आयोग द्वारा संख्या सहायक के पद के लिये ही आयोग्य पाये गये तो उन्हें संख्याधिकारी के पद पर नहीं बनाये रखा जा सकता था।

श्री माधोराम शर्मा, हेड क्लर्क, इन्टर कालेज, जानी, जिला मेरठ की हत्या

*६०--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माधवराम, हेड क्लर्क इन्टर कालेज, जानी, थाना जानी, जिला मेरठ का कत्ल 24/25 की रात अगस्त, १९७४ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कर दिया था ? यदि हां, तो उनकी मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री राम सिंह--

जी हां। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री माधोराम शर्मा मृतक द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९४/३०२ भा० दं० वि० का अभियोग थाना जानी, जिला मेरठ पर कायम किया गया। जिसका विवेचना पहले स्थानीय पुलिस ने तथा बाद में अपराध अनुसंधान विभाग ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सिर का टूटना व सदमा

एवं रक्तस्राव था। हत्या के अपराध की विवेचना में स्थानीय पुलिस तथा सी० आई० डी० को सफलता नहीं मिली व विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई।

*६१—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द'—

[३रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव के उच्चीकरण एवं पुरौला को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने की मांग

*६२—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द' (जिला उत्तर काशी)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को मालूम है कि नौगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण तथा पुरोला तहसील अस्पताल के विस्तार का मामला कई सालों से चल रहा है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शोबन सिंह जीना—

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव के उच्चीकरण का निर्णय लिया जा चुका है।

(ख) पुरौला में तहसील अस्पताल नहीं है। केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। केन्द्र के लिये अतिरिक्त सुविधायें देने के लिये प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

गोंडा जिले के सिरसिया विकास खन्ड के गांवों को माफी की लकड़ी दिये जाने सम्बन्धी इन्डेन्ट

*६३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि सिरसिया विकास खंड के माफीदार गांवों को माफी की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए तहसील भिनगा द्वारा पिछले दो वर्षों से कोई भी इन्डेन्ट वन विभाग गोन्डा नार्थ को अब तक नहीं भेजे गए ? यदि हां, तो अब तक इन्डेन्ट न भेजने का क्या कारण है ?

श्री श्रीचन्द—

सिरसिया विकास खंड के माफीदार गांवों को माफी की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये वर्ष १९७६-७७ में तहसील भिनगा से कोई भी इन्डेन्ट वन विभाग गोंडा नार्थ को प्राप्त नहीं हुआ है। इन्डेन्ट राजस्व विभाग से आता है। न आने के कारण के बारे में राजस्व विभाग से पूछतांछ की जा रही है। वर्ष १९७७-७८ में, केवल तीन ग्रामों बमनी, विशुनापुर तथा लोहटी के इन्डेन्ड राजस्व विभाग से दिनांक २५-१२-१९७७ को प्राप्त हुये।

'हिन्दू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था एवं जाति भेद' नामक पुस्तक के जब्ती के आदेश

*६४—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 'हिन्दू, संस्कृति में वर्ण व्यवस्था एव जाति भेद' नामक पुस्तक जो श्री सुन्दर लाल सागर द्वारा लिखी गई है, जिसे

सरकार ने १९७७ में जब्त किया है अब जब्ती हटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह—

इस पुस्तक के जब्ती के आदेशों को निरस्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

जब्ती के आदेशों को निरस्त करने के सम्बन्ध में पुस्तक के लेखक व प्रकाशक ने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

*६५—श्री चेतराम गंगवार—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अशोक के प्रधानाचार्य व मास्टरों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*६६—श्री राम पति (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती की हरैया तहसील में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अशोक में दिनांक १८ अप्रल, १९७८ को पुलिस ने प्रधानाचार्य व मास्टर व लिपिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, इस सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र शासन को अब तक प्राप्त हुए और शिकायत क्या थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार १५ शिकायती-पत्र/तार प्राप्त हुये । शिकायतों का विवरण संलग्न है । जांच में शिकायतें निराधार पायी गयी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४३ पर)

प्रदेश में हरिजन व पिछड़ी जातियों के राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या व ऊपर व्यय की गई धनराशि

*६७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३ मार्च, सन् १९७८ तक राज्य में राजपत्रित कर्मचारियों की कुल जन संख्या कितनी है और इसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों की संख्या अलग-अलग कितनी है और उक्त अवधि में कार्यरत हरिजन और पिछड़ी जातियों के राजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिशत कुल राजपत्रित कर्मचारियों के अनुपात में अलग-अलग कितना है और उक्त अवधि (१९७७-७८) में राज्य बजट का कितना प्रतिशत राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य देयों पर व्यय हुआ है ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

झांसी जिले में रिवाल्वर, बन्दूक की अनियमित नीलामी

*६८--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मई/जून, १९७८ में रिवाल्वर, बन्दूक एवं अन्य अस्त्र नीलाम किये गये थे और उक्त नीलामी का क्या कोई विज्ञापन किया गया था ? क्या ऐसा तो नहीं है कि नीलामी में केवल जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के व्यस्तम अधिकारियों द्वारा एवं नीलामकर्ता द्वारा स्वयं वर्तमान मूल्यों के अनुसार लगभग १ लाख रुपये के अस्त्रों को ३०० रुपयों से लेकर ५०० रुपयों तक स्वयं फर्जी नीलाम कर स्वयं ले ली ? यदि हां, तो उन अधिकारियों से अस्त्र वापिस लेकर विज्ञापन द्वारा पुनः नीलाम किया जायगा ताकि जनता भी उसमें भाग ले सके ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या शासन उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह--

झांसी जिले में जून, ७८ में रिवाल्वर, बन्दूकें एवं अन्य शस्त्रों की नीलामी की गयी थी और उसके लिये पुलिस अधीक्षक, नगर मैजिस्ट्रेट व परगना मैजिस्ट्रेट के कार्यालय में नोटिस लगायी गयी । कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयुक्त, झांसी मंडल द्वारा जांच करायी गयी । जांच रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त नीलामी को निरस्त करने की कार्यवाई की जा रही है । आयुक्त, झांसी मंडल की जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों का अनियमितताओं के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा लीसा के लिये टिन हेतु आमंत्रित टेंडर

*६९--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७४ लीसा फसल के लिए खाली टिनों की सप्लाई के लिए अरण्यपाल, कुमायूं वृत्त ने कितनी बार टेन्डर्स को आमंत्रित करने के लिए उप अरण्यपाल, पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग को निर्देश दिये ? यदि हां, तो पहली बार और अन्तिम बार के टेन्डर्स की दर क्या थी ?

श्री श्रीचन्द--

वर्ष १९७४ की लीसा फसल के लिये खाली टिनों की खरीद के लिये उप अरण्यपाल, पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग ने आठ बार टेण्डर आमंत्रित किये । प्रथम चार बार आमंत्रित किये गये टेन्डर में जो आफर्स आये वे सशर्त थे तथा साथ में जमानत भी नहीं थी । अतएव वे अवैध थे और उनको स्वीकृत नहीं किया गया । शेष चार बार टेन्डर आमंत्रित करने पर जो वैध टन्डर प्राप्त हुये उनमें प्रथम बार और अन्तिम बार टेन्डर दर निम्नवत् थी :--

	काठगोदाम डिपो के लिये	राम नगर डिपो के लिये
प्रथम बार	६·९५ रु० प्र० टिन	६·६० रु० प्र० टिन
	६·९६ रु० प्र० टिन	६·७० रु० प्र० टिन
अन्तिम बार	७·६० रु० प्र० टिन	कोई क्रय इस डिपो के लिये बाद में नहीं किया गया ।

पुलिस एस० पी० आर० ए०, इलाहाबाद के बंगले पर श्री विजय बहादुर सिंह कांस्टेबुल की मृत्यु

*७०—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मिराई, जिला फतेहपुर का एक नवजवान पुलिस सिपाही जो इलाहाबाद में पुलिस एस० पी० आर० ए० के बंगले में दिनांक १४ मार्च, १९७८ को तैनात था, को सुबह ३ बजे से ६ बजे के बीच मरा हुआ पाया गया ? क्या यह सही है कि उसकी एस० पी० आर० ए० की गाड़ी से दुर्घटना होकर मौत हुई ? यदि नहीं, तो मौत का क्या कारण था ? क्या सरकार इस मौत के कारण की गुप्तचर विभाग से जांच कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार कान्सटेबुल ४३१ ए० पी० विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह, निवासी ग्राम मिराई, थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर की डियूटी दिनांक १४—३—७८ तथा उसके पहले से ही एस० पी० आर० ए० इलाहाबाद के निवास पर थी । दिनांक १४—३—७८ को प्रातः एस० पी० आर० ए० इलाहाबाद ने थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद को टेलीफोन पर उक्त कान्सटेबुल के उसी दिन सुबह मर जाने की सूचना दी जिस पर श्री चंद्रमा सिंह एस० आई० थाना कर्नलगंज ने घटनास्थल पर पहुंच कर शव का पंचायतनामा लेकर शव को सील करके पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा । पोस्टमार्टम परीक्षण से अचानक हृदय गति रुक जाने से मृत्यु का होना पाया गया । मृत्यु में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया और न मृत्यु में कोई संदेह ही है । अतः गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय में नोटरी के पद पर नियुक्ति

*७१—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में नोटरी के पद पर इस वर्ष कौन व्यक्ति नियुक्ति किया गया ? क्या नियुक्ति के पूर्व इस पद के लिए कोई एडवरटाइजमेन्ट हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद प्रतापगढ़ (मुख्यालय) में नोटरी के पद पर दिनांक २० जुलाई, १९७८ से श्री सरजू प्रसाद तिवारी, वकील की नियुक्ति की गई है । इस नियुक्ति के पूर्व जनपद न्यायाधीश द्वारा एक अतिरिक्त नोटरी के पद के लिए जनपद में एडवरटाइजमेन्ट कराया गया था । पूर्व नोटरी श्री लाल राम प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त पद में उपरोक्त एडवरटाइजमेन्ट के आधार पर प्राप्त नामों में से नियुक्ति कर दी गई और पुनः एडवरटाइजमेन्ट करना विलम्ब बचाने के लिए आवश्यक नहीं समझा गया ।

आगरा नगर के 'क्लार्क शिराज' होटल में स्थित काशमीर आर्ट्स नामक दुकान से वन्य जन्तुओं की खालों से निर्मित वस्त्रों की बरामदगी

*७२—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि यह सही है कि दिनांक २५ जून, १९७८ को आगरा—मेरठ क्षेत्र वन्य जन्तु प्रतिपालक ने आगरा नगर के एक फाइव

स्टार होटल में स्थित एम्पोरियम में जांच के दौरान वन्य जन्तुओं की लाखों की खालों से निर्मित वस्तुओं का अवैध स्टाक करने व विदेशी पर्यटकों को विक्रय करने एवं उनके साथ धोखा धड़ी करने का मामला पाया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र--

यह सही नहीं है कि दिनांक २५ जून, १९७८ को आगरा-मेरठ क्षेत्र के वन्य जन्तु प्रतिपालक ने आगरा नगर के एक फाइव स्टार होटल में स्थित एम्पोरियम में जांच के दौरान वन्य जन्तुओं की लाखों की खालों से निर्मित वस्तुओं का अवैध स्टाक करने व विदेशी पर्यटकों को विक्रय करने एवं उनके साथ धोखा धड़ी करने का मामला पाया है ।

परन्तु दिनांक १७ जून, १९७८ को आगरा-मेरठ क्षेत्र के वन्य जन्तु प्रतिपालक ने आगरा नगर के होटल 'क्लार्क शिराज' में स्थित काश्मीर आर्ट्स नामक एक दुकान के यहां जांच के दौरान उनके शो रूम में वन्य जन्तुओं की खालों से निर्मित वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं को पाया जिनके मूल्य की जानकारी वन विभाग को नहीं है । "वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) ऐक्ट, १९७२" के अन्तर्गत बिना लाइसेंस के वन्य जन्तुओं से निर्मित वस्तुओं के व्यापार करने के अपराध में इनकी दुकान से प्राप्त वन्य जन्तुओं से निर्मित समस्त वस्तुयें जब्त करली गयीं ।

सम्बन्धित दुकानदार द्वारा इन वस्तुओं को विदेशी पर्यटकों को बेचते वक्त धोखाधड़ी करने की जानकरी नहीं है । उक्त दुकान द्वारा मामले को प्रशमित (Compound) करने के लिए दस हजार रुपये की जमानत जमा की गई । इस घटना के पश्चात् उक्त फर्म ने मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से वन्य जन्तुओं की खालों इत्यादि से निर्मित वस्तुओं के व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रार्थना की, जो अस्वीकार कर दी गई है । संरक्षित वन्य जन्तुओं के खालों से बने वस्त्रादि जब्त कर लिए गये हैं तथा अन्य वस्तुएं जमानत प्राप्त होने पर इस प्रतिबन्ध के साथ वापस कर दी गई है कि उन्हें इस प्रदेश के बाहर दिनांक १५ सितम्बर, १९७८ तक हटा दें । ऐसा न करने पर इन वस्तुओं को भी निश्चित समय के पश्चात् जब्त कर लिया जायेगा ।

सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वैयक्तिक सहायक

*७३--श्री बसंत (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैयक्तिक सहायकों की कितनी संख्या है ? गत १२ मार्च, १९७८ को सचिवालय स्तर पर हुई वैयक्तिक सहायकों की अर्हकारी परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर चयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? सचिवालय में यह कोटा कब तक पूरा किया जाएगा ?

श्री राम नरेश यादव--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति के ७ (सात) वैयक्तिक सहायक है । अनुसूचित जन जाति का कोई वैयक्तिक सहायक नहीं है ।

गत मार्च, १९७८ की अर्हकारी परीक्षा में अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गयी। अनुसूचित जाति का कोई अन्य अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ था।

प्रत्येक परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित प्रतिशतानुसार स्थान आरक्षित किये जाते हैं परन्तु सफल अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही कोटा पूरा हो सकता है।

*७४--श्री रियासत हुसैन--

[३रें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नैनीताल जिले के लाल कुआं-हल्द्वानी मार्ग पर श्री शमशेर सिंह की डाकुओं द्वारा हत्या

*७५--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले के थाना लाल कुआं के अन्तर्गत दिनांक २१ जून, १९७८ को लाल कुआं-हल्द्वानी रोड पर श्री शमशेर सिंह उर्फ जीता नामक व्यक्ति को, जो स्कूटर से जा रहा था कुछ डाकुओं ने सड़क के आर-पार तार बांध कर गिराकर उसकी हत्या कर दी? यदि हां, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की कितनी हत्याएं नैनीताल जनपद में दिनांक २३ जून, १९७७ से ३० जून, १९७८ तक हुईं तथा उन सभी पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम सिंह--

जी हां। श्री लफ्टन सिंह ने थाना लाल कुआं, जिला नैनीताल पर रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा ३९४/३०२ भा० दं० वि० का अपराध कायम किया गया। विवेचना से ३ अभियुक्त प्रकाश मे आये जिनमें से एक गिरफ्तार किया गया तथा दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई है। अपराध विवेचनाधीन है।

प्रश्नगत अवधि में इस प्रकार के दो अन्य घटनायें हुई। एक में दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। एक अभियुक्त के सम्बन्ध में विवेचना प्रचलित है। दूसरे मामले में विवेचना प्रचलित है।

नैनीताल के थाना बाजपुर में कुमारी मीना के अपहरण एवं बलात्कार सम्बन्धी लिखायी गयी रिपोर्ट

*७६--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के थाना बाजपुर में २९ मई, १९७८ में एक रिपोर्ट कुमारी मीना के अपहरण करने तथा उसके साथ बलात्कार करने की अंकित की गयी है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २९ मई, १९७८ को कुमारी चन्द्रा देव, हेल्थ विजीटर ने थाना बाजपुर, जिला नैनीताल पर अपनी भांजी कुमारी मीना के अपहरण के सम्बन्ध में एक नामजद अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। जिसके

आधार पर धारा ३६३ भा० दं० वि० का अपराध कायम किया गया । विवेचना से तीन अभियुक्त और प्रकाश में आये तथा कुमारी मीना के साथ बलात्कार किया जाना भी पाया गया । चारो अभियुक्त के विरुद्ध धारा ३६३/३६६/३६८/३७६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

*७७—श्री विद्या शंकर—

[२रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

डिविजनल फारेस्ट आफिसर को पी० डी० पर लकड़ी देने का अधिकार

*७८—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या यह सही है कि फारेस्ट मैनुअल के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर को केवल मात्र २५० रु० कीमत की लकड़ी पी० डी० करने का अधिकार है ? क्या इसमें बढ़ोत्तरी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र—

जी हां । किन्तु पहाड़ों क्षेत्र में डिविजनल फारेस्ट अफिसर को एक बार में ७५० रु० तक की कीमत को लकड़ी पी० डी० पर देने का शासन ने अधिकार दे रखा है । उपर्युक्त वित्तीय सीमाओं में बढ़ोत्तरी करने की फिलहाल कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

*७९—श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

मुहल्ला रामनाथ, देवरिया चौराहा के श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी के घर पर बम तथा कट्टा से हमला

*८०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम नरेश पाण्डेय तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ जुलाई, १९७८ को सायंकाल देवरिया पुलिस अधीक्षक के बंगले एवं पुलिस लाइन के सम्मुख श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी के यहां लगभग एक दर्जन असामाजिक तत्वों ने बम, देशी रिवाल्वर एवं बन्दूकों से लैस होकर एक साथ हमला किया, उनके व अन्य तीन दूकानों को बम व पेट्रोल से जला दिया, खुले आम बम और गोली चलाई जिससे गृह स्वामी गुरु प्रसाद त्रिपाठी की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई और अन्य कई व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो देवरिया हास्पिटल में भर्ती हैं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ? जब कि स्व० गुरु प्रसाद त्रिपाठी के पुत्रों ने इस घटना की पूर्व आशंका होने का आभास पाकर माह अप्रैल, १९७८ में शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के पास अनेक दरख्वास्तें भेज कर अपने व अपने परिवार को सुरक्षा हेतु निवेदन किया था ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७ जुलाई, १९७८ को सांयकाल लगभग ७-३० बजे मुहल्ला रामनाथ, देवरिया चौराहा पर श्री विश्वनाथ पाण्डेय वकील मकान के निकट कुछ बदमाशों द्वारा श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी तथा अन्य लोगों पर

बस तथा कट्टे से प्रहार किया गया जिसमें श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी की मत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी तथा सर्वश्री सुभाष, वीरेन्द्र तथा देवी प्रसाद को साधारण चोटें आयीं। घटना के सम्बन्ध में दिनांक ७ जुलाई, १९७८ को ही थाना कोतवाली में अपराध अंकित करके विवेचना की गयी और दिनांक २ अगस्त, १९७८ को ६ अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। घटना के पूर्व दोनों पक्षों से शान्ति भंग सम्बन्धी सूचनाएं मिलने पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट १०७/११७ ज० फौ० दिनांक १० अप्रैल, १९७८ दी गयी थी जो विचाराधीन न्यायालय है।

अतारांकित प्रश्न

सी० ओ० सिटी, श्री कृष्ण गोपाल, गोरखपुर के विरुद्ध क्रमिक अनशन

*१—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सी० ओ० सिटी (श्री मेहरोत्रा) के विरुद्ध गोरखपुर के जिलाधीश के कार्यालय के समक्ष जून, १९७५ में युवकों ने क्रमिक उपवास किया था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी और सरकार ने उस पर क्या किया?

श्री राम सिंह—

दिनांक १५ जून, १९७५ को ११-४५ बजे भारतीय युवक संघ के तत्वधान में ५ छात्रों ने तत्क लीन सी० ओ० सिटी, गोरखपुर श्री कृष्ण गोपाल मेहरोत्रा के विरुद्ध घूसखोरी एवं दुराचार की शिकायतें करते हुए तथा अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने का आरोप लगाते हुए २४ घंटे का क्रमिक अनशन आरम्भ किया था। यह अनशन दिनांक १७ जून, १९७५ को १ बजे दिन में बिना शर्त वापस हो गया। लगाये गये आरोपों को देखा गया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुई। श्री कृष्ण गोपाल मेहरोत्रा स्थानान्तरित हो चुके हैं और वे दिनांक ४ अगस्त, १९७५ को वहां से कार्यमुक्त हो गए थे।

बस्ती जिले में माल व फौजदारी के विचाराधीन मुकदमें

२—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में इस समय कुल कितने मुकदमें फौजदारी एवं माल के विचाराधीन हैं और कितने ऐसे मुकदमे हैं जो दो वर्ष से अधिक के हैं? क्या यह सही है कि न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के अभाव में मुकदमें के निपटारे में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिला बस्ती में जुलाई, १९७८ की स्थिति के अनुसार ७१७ सत्र परीक्षण, १६० फौजदारी अपीलें, १५२ फौजदारी पुनरीक्षण तथा मैजिस्ट्रेटों द्वारा सुने जाने वाले १८,९८१ फौजदारी वाद विचाराधीन थे। इनमें १९४ सत्र परीक्षण, १५ फौजदारी अपीलें, ७ फौजदारी पुनरीक्षण तथा ४८७२ फौजदारी वाद २ वर्ष से अधिक के हैं।

३१ जुलाई, १९७८ को माल के ८,७४६ वाद लम्बित थे । इनमें से ७४४ वाद २ वर्ष से अधिक के हैं ।

जिला जज के अतिरिक्त वहां पर इस समय ४ अपर जिला जजों, मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी कार्य कर रहे हैं और कोई भी न्यायालय रिक्त नहीं है । मुंसिफों के नये बैच आने पर कुछ और नियुक्तियां करने पर यथा समय उच्च न्यायालय कार्यवाही करेंगे । माल के पुराने लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़ने हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति

३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९७७ से ३१ मई, १९७८ तक प्रोबेशन करने की कितनी बैठकें हुईं उसमें किस तारीख तक कितने कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़ने के लिए स्वीकृति दी गई, आई०जी०, जेल के कार्यालय से किन-किन तारीखों में अन्तिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया और शासन ने किन-किन तारीख में अन्तिम स्वीकृति देकर आदेश प्रसारित किया, किन-किन तारीखों में किस-किस जेल से कितने कैदी प्रोबेशन पर छोड़े गए ? यदि विलम्ब हुआ, तो कौन जिम्मेवार है और उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न में जो सूचना एवं जानकारी मांगी गई है उसे एकत्र करने में अत्यधिक समय और धन का व्यय होगा जो उससे होने वाले लाभ के समतुल्य न होगा ।

४—श्री देव बहादुर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मंत्रियों के दौरे पर व्यय की गयी धनराशि

५—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९७७ से फरवरी, १९७८ तक उत्तर प्रदेश सरकार के मन्त्रियों के दौरे पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

जून, १९७७ से फरवरी, १९७८ तक उत्तर प्रदेश सरकार के मन्त्रियों के दौरे पर कुल ११,२८,१७८·६२ रुपया खर्च हुआ ।

बाराबंकी सूती मिल में मोमिन अन्सार बुनकर जाति के कर्मचारी

६—श्री मसूबुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी सूती मिल दिनांक १ जून, १९७८ को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है और इनमें कितनी संख्या में मोमिन अन्सार (बुनकर) हैं ?

श्री राम प्रकाश--

इस मिल में १-६-१९७८ को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ८०० थी। इनमें ३० कर्मचारी मोमिन अंसार हैं।

सहारनपुर जिले के थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण

७--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जनपद में ५ जून, १९७७ से दिनांक १० दिसम्बर, १९७७ तक कितने थाना अध्यक्षों का तबादला दूसरे सम्भाग (कमिश्नरी) में किया गया और उनके क्या-क्या नाम हैं तथा कितने दिन से इस जनपद में सेवारत थे ?

श्री राम सिंह--

सहारनपुर जनपद में ५-६-७७ से १०-१२-७७ तक ६ थानाध्यक्षों को दूसरे सम्भाग (कमिश्नरी) में स्थानान्तरित किया गया उनके नाम तथा जनपद में नियुक्ति की अवधि निम्नवत् है :--

नाम	नियुक्ति काल
१--श्री शिव दत्त शर्मा, इन्सपेक्टर ..	१२-३-१९७७ से १५-११-१९७७ तक।
२--श्री शिव कुमार शर्मा, इन्सपेक्टर ..	१-१२-१९७६ से २४-११-१९७७ तक।
३--श्री रघुराज सिंह त्यागी, इन्सपेक्टर ..	१७-२-१९७६ से २२-७-१९७७ तक।
४--श्री दुर्ग पाल सिंह, सब-इन्सपेक्टर ..	१२-७-१९७६ से १३-७-१९७७ तक।
५--श्री देव प्रसाद शर्मा, सब-इन्सपेक्टर ..	३-७-१९७५ से २९-६-१९७७ तक।
६--श्री ओम प्रकाश उपाध्याय, सब-इन्सपेक्टर..	४-८-१९७६ से ३-९-१९७७ तक।

वन विभाग के आशुलिपिकों के स्थायीकरण की मांग

८--श्री बिन्दू लाल (जिला गोन्डा)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में आशुलिपिकों के कितने पद स्थायी करने हेतु रिक्त पड़े हैं और कब से तथा उन्हें स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीचन्द—

वन विभाग में २९ आशुलिपिकों के स्थायी पद निम्न तिथियों से रिक्त पड़े हैं :—

रिक्त पदों की संख्या		पदों के रिक्त होने की तिथि
२	..	१९६९
२	..	१-४-१९७०
२	..	१-४-१९७१
३	..	१-४-१९७२
१	..	१-४-१९७३
१३	..	१-४-१९७४
१	..	१७-८-१९७४
२	..	१-२-१९७५
२	..	१-३-१९७६
१	..	१-५-१९७७
योग .. २९ पद		

उपरोक्त २९ आशुलिपिकों के पदों पर धारकों को स्थायी न करने का निम्न कारण है :

(१) १९ आशुलिपिकों के पदों पर प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्ति न होने के कारण उन्हें स्थायी नहीं किया गया । अब परीक्षा लेकर स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(२) ७ पदों पर धारकों को स्थायी करने की कार्यवाही अब सक्रिय रूप से की जा रही है ।

(३) ३ पदों पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है, अतः स्थायीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

पन्तनगर विश्वविद्यालय के गोली काण्ड में मृतकों के आश्रितों को दी गई सहायता

९—श्री देवबहादुर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ को पन्तनगर विश्वविद्यालय (कृषि) में पुलिस द्वारा जो गोली चलायी गयी थी, उसमें मृतकों के परिवारों एवं घायलों को सहायता के रूप में कितनी एवं किन-किन व्यक्तियों को धनराशि दी गई ?

श्री राम सिंह---

सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

डी० आई० जी० रेन्ज, आगरा के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

१०---श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या गृह मन्त्री प्रश्न संख्या ४०, दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ के उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि डी० आई० जी०, रेंज आगरा में इस अवधि में कुल कितने राजपत्रित पुलिस अधिकारी नियुक्त थे और उनमें से किन-किन लोगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें कितनी शिकायतों की जांच हुई, और जिन शिकायतों की जांच हुयी उनके क्या परिणाम निकले ?

श्री राम सिंह---

प्रश्नगत अवधि (दिनांक १-७-१९७७ से दिनांक ३१-१-१९७८ तक) डी० आई० जी०, आगरा रेंज में कुल ५८ राजपत्रित पुलिस अधिकारी नियुक्त रहे और उनमें से संलग्न सूची में दिये गये ७ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जांच की गई । जांच से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४४ पर)

केन्द्रीय कारागार, बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

११---श्री मुहम्मद रफी खां---

प्रथम सत्र १९७८ के छठें मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ उसमें क्या-क्या शिकायतें थीं तथा उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और पत्र में लिखित शिकायतें कितनी सही पाई गई तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मुख्य मंत्री जी को प्राप्त कथित पत्र में जो शिकायतें थी वे संलग्न तालिका में अंकित हैं । इनकी जांच श्री के० के० बलबीर, क्षेत्रीय कारागार उप महानिरीक्षक, मेरठ क्षेत्र द्वारा कराई गई । लगभग सभी शिकायतें सही नहीं पायी गयीं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४५ पर)

१२---श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

[ठेंद बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के कतिपय थाना क्षेत्रों में डकैती, चोरी तथा कत्ल

१३---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत थाना मंझनपुर, पश्चिम शरीरा, करारी एवं सराय आकिल

छापी नहीं गयी ।

क्षेत्रों में माह दिसम्बर, १९७७ से दिनांक ३१ मार्च, १९७८ तक कितनी-कितनी डकैतियां चोरी तथा कत्लें हुईं ? प्रत्येक का विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत थाना मंझनपुर, पश्चिम-शरीरा, करारी एवं सराय आकिल क्षेत्रों में १-१२-१९७७ से ३१-३-१९७८ तक पड़ी डकैतियों, हुई चोरियों एवम हुए कत्ल की संख्या निम्न प्रकार है जिसका विवरण संलग्न है ।

थाना	डकैती	चोरी	कत्ल
मंझनपुर ..	२	५	४
पश्चिम-शरीरा ..	१	१३	२
करारी ..	..	१५	२
सराय आकिल ..	..	१	..

(देखिये नत्थी 'ज' पृष्ठ २४८ पर)

मथुरा जिले के परगना सादाबाद से बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र

१४--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, सादाबाद (जिला मथुरा) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक १४ सितम्बर, १९७७ से दिनांक १५ मार्च, १९७८ तक कितने प्रार्थना-पत्र बन्दूक लाइसेन्सों के नवीनीकरण हेतु व नए लाइसेन्स प्रदान करने की पत्रावलियां विचाराधीन हैं तथा इन पर अब तक निर्णय क्यों नहीं हो सका ?

श्री राम सिंह--

बन्दूक लाइसेन्सों के नवीनीकरण के लिए ९ प्रार्थना-पत्र लाइसेन्सदारों द्वारा अपने शस्त्र निरीक्षणार्थ प्रस्तुत न करने के कारण अनिस्तारित हैं । नए लाइसेन्स हेतु २२५ प्रार्थना-पत्र फील्ड इंक्वायरी के कारण अनिस्तारित हैं ।

रायबरेली जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी, श्री मदनमोहन वर्मा के विरुद्ध फर्जी टी० ए० बिल बनाने का आरोप

१५--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १३ जुलाई, १९७३ को जिला रायबरेली के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (पी०) श्री मदन मोहन वर्मा ने तृतीय श्रेणी में चंडीगढ़ से दिल्ली तक शयन कक्ष का आरक्षण सहित टिकट लेकर यात्रा करने के बाद भी प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता लघु कृषक विकास अधिकरण, रायबरेली से लिया था ? क्या इसके लिए कोई शिकायत दिनांक १३ अगस्त, १९७४ ई० को अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास एजेन्सी, रायबरेली द्वारा जिलाधिकारी, रायबरेली को फर्जी टी० ए० बिल बनाकर भुगतान लेने की ए० पी० एम० श्री मदनमोहन वर्मा के विरुद्ध की गई थी ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

श्री मदन मोहन वर्मा के विरुद्ध फर्जी टी० ए० बिल बनाकर भुगतान लेने की शिकायत की गई थी । इस शिकायत पर प्रारम्भिक जांच के उपरान्त श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है । इस कार्यवाही के लिए आयुक्त, लखनऊ मन्डल, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम ईश्वर पट्टी में पड़ी डकैती की मुठभेड़ में ग्रामीणों तथा डाकू कृष्ण बहादुर सिंह की मृत्यु

१६—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २/३ जून, १९७८ की रात को ग्राम ईश्वर पट्टी, थाना गोसाईगंज, जिला फैजाबाद में डाकुओं ने किसी वर्मा जी के घर पर हमला किया, जिसमें ग्रामीणों एवं डाकुओं के बीच मठभेड़ हुई ? यदि हां, तो इस मुठभेड़ में कितने डकैत मारे गए ? तथा क्या मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इसी गांव में ३ जून, १९७८ की सुबह कृष्ण बहादुर सिंह नामक डकैत एवं ग्रामीणों के बीच पुनः मुठभेड़ हुई, परिणाम स्वरूप दो ग्रामीण एवं डकैत कृष्ण बहादुर सिंह मारा गया ? क्या स्थानीय पुलिस मुठभेड़ की किसी घटना में सम्मिलित नहीं थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार २/३ जून, १९७८ की रात में ग्राम ईश्वर पट्टी के श्री राम लोट वर्मा के ऊपर चार बदमाशों ने हमला किया था । उक्त हमले में बदमाशों और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश मारे गए । दिनांक ३-६-७८ को ग्राम ईश्वर पट्टी में तो नहीं, हां उसके सरहदी ग्राम पाली अचलपुर में डकैत कृष्ण बहादुर सिंह की ग्रामीणों एवं पुलिस से अवश्य मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो ग्रामीण और डाकू कृष्ण बहादुर सिंह मारे गए । पुलिस ग्राम ईश्वर पट्टी में सुरक्षार्थ तैनात थी, जो शोरगुल सुनकर दौड़कर आ गयी और ग्रामीणों के साथ डाकू का पीछा किया ।

हल्द्वानी नगर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज

१७—श्री रामदत्त जोशी—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत १६ फरवरी, १९७८ को नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर में प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं पर लाठी चार्ज किए जाने के आदेश नैनीताल जिले के किस अधिकारी ने जारी किए थे और अकस्मात् धारा १४४ लागू किए जाने के आदेश दिनांक १६ फरवरी, १९७८ पर किस मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं ?

श्री राम सिंह—

१६ फरवरी, १९७८ को नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर में असामाजिक तत्वों एवं उग्र छात्रों की क्रुद्ध भीड़ को धारा १४४ का उल्लंघन करने के कारण हलके लाठी चार्ज का आदेश श्री नवीन चन्द जोशी, मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया और धारा १४४ लागू करने के आदेश श्री तुला राम भट्ट, परगना मैजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा पारित किए गए थे ।

आगरा रेंज के पुलिस इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

१८—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कमिश्नरी सम्भाग में कितने पुलिस इन्सपेक्टरों के तबादले जून, १९७७ से लेकर के दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ तक आगरा (रेन्ज) से बाहर किए गए? उसके क्या-क्या नाम हैं तथा किन-किन के स्थानान्तरण मुख्यालय पुलिस, इलाहाबाद के आदेश के बावजूद रोके गए? क्या यह भी सत्य है कि सुरजन सिंह यादव, इन्सपेक्टर थाना ब्रह्मा देवी, अलीगढ़ का स्थानान्तरण सिविल पुलिस के विद्युत् विभाग में किया गया था? यदि हां, तो उनके रोकने का क्या कारण है?

श्री राम सिंह—

आगरा कमिश्नरी सम्भाग में जून, १९७७ से १९-४-१९७८ तक की अवधि में आगरा रेन्ज से १७ इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण किए गए, जिनके नाम निम्न हैं :—

सर्वश्री—

१—पी० एस० फौजदार।
२—दीप चन्द्र।
३—सैय्यद मोहम्मद कामिल।
४—हेम बल्लभ मिश्रा।
५—चन्द्र देव सिंह।
६—छोटे सिंह राठौर।
७—चन्द्र शेखर शर्मा।
८—सीता राम गुप्ता।
९—अमीर हुसैन खां।
१०—हीरा सिंह सिरोही।
११—सी० पी० शर्मा।
१२—सुरजन सिंह यादव।
१३—जी० के० शर्मा।
१४—एस० एन० गौतम।
१५—सुरेन्द्र प्रताप सिंह।
१६—मोहन लाल वर्मा।
१७—राजकुमार सिंह।

श्री राम सिंह--

उपरोक्त निरीक्षकों में से निम्न ६ निरीक्षक के स्थानान्तरण रोके गए :--

सर्वश्री--

१--चन्द्र देव सिंह ।

२--छोटे सिंह राठौर ।

३--सुरजन सिंह यादव ।

४--हीरा सिंह सिरोही ।

५--सुरेन्द्र प्रताप सिंह ।

६--मोहन लाल शर्मा ।

यह सत्य है कि श्री सुरजन सिंह यादव का स्थानान्तरण अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को किया गया था, जिसे प्रशासनिक आधार पर रोक दिया गया ।

मथुरा जिले की मथुरा कोतवाली के सब इन्सपेक्टर, श्री आर० के० पुनेठा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

१९--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की कोतवाली मथुरा में आपातकालीन में तैनात सब-इन्सपेक्टर श्री आर० के० पुनेठा के विरुद्ध श्री प्यारे लाल नामक दलपति खिड़की मथुरा के व्यापारी द्वारा १९७६ में यह शिकायत की गई थी कि रिश्वत दो, नहीं तो डी० आई० आर० में चालान कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो इस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह--

जी हां ।

शिकायत की जांच की गई । लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

इलाहाबाद जिले के थाना पश्चिम शरीरा के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध श्री हनुमान दयाल शिकायती-पत्र

२०--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १, २ मार्च, १९७८ को इलाहाबाद जिले के थाना पश्चिम शरीरा के भूतपूर्व इन्चार्ज श्री अमर सिंह व सहायक श्री डी० के० गौतम सिपाही, श्री शम्भू नारायण, रामबाबू के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता श्री शिवालाल तिवारी, बद्री विशाल भार्गव, उप प्रधान श्री सुनील सिंह, ग्राम अंधावा एवं प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखित शिकायतें दी गई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार केवल श्री बद्री विशाल भार्गव व एक अन्य व्यक्ति श्री हनुमान दयाल निवासी, ग्राम अंधावा, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद इलाहाबाद

का दिनांक रहित संयुक्त प्रार्थना-पत्र, दिनांक १-३-१९७८ को प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना पश्चिम शरीरा के प्रश्न में उल्लिखित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्र की जनता को परेशान करने, अभद्र व्यवहार करने, झूठे आरोप लगाकर रिश्वत वसूलने, सही रिपोर्ट दर्ज न करने एवं रिश्वत लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न करने आदि के आरोप लगाये गये थे ।

जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित रहे ।

प्रदेश में कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़ने हेतु प्रदान की गई संस्तुति के कार्यान्वयन में विलम्ब

२१--श्री खयाल पाण्डेय--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७४ से मार्च, १९७८ तक कितने कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़ने की संस्तुति प्रोबेशन बोर्ड ने किया है, प्रत्येक वर्षों में कितना है और क्या शासन ने प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति को माना है ? यदि नहीं माना है, तो क्यों ? वर्षवार विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रश्न में जो सूचना एवं जानकारी मांगी गई है, उसे एकत्र करने में अत्यधिक समय और धन का व्यय होगा, जो उससे होने वाले लाभ के समतुल्य न होगा ।

२२--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैदियों के प्रोबेशन फार्म निस्तारण हेतु अधिकारियों को कितना समय निश्चित किया गया, उनमें कितने फार्म जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ तक निश्चित समय पर प्रोबेशन बोर्ड को अथवा शासन को किन अधिकारियों ने वापस किए ? क्या यह सही है कि कुछ फार्मों पर अधिकारियों ने शासन के आदेश का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों, और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रश्न में जो सूचना एवं जानकारी मांगी गई है, उसे एकत्र करने में अत्यधिक समय और धन का व्यय होगा, जो उससे होने वाले लाभ के समतुल्य न होगा ।

मथुरा जिले में आपातकाल में अस्त्रों के लाइसेंसों का निलम्बन एवं बहाली

२३--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकाल में मथुरा जनपद के कितने अस्त्र लाइसेन्सदारों के लाइसेन्स निलम्बित किए और कितने लाइसेन्सों को रद्द किया तथा कितने लाइसेन्सदारों का मीसा व डी० आई० आर० में चालान हुआ ? सरकार यह भी बतायें कि आपातकाल में निलम्बित एवं रद्द लाइसेन्सों में से कितने लाइसेन्स बहाल (?

श्री राम सिंह--

१२६ अस्त्र लाइसेंसदारों के लाइसेंस निलम्बित किये गये और १९ लाइसेंसों को रद्द किया गया । डी० आई० आर० के अन्तर्गत १५ लाइसेंसदारों का चालान किया गया । मीसा के अन्तर्गत चालान लाइसेंसदारों की संख्या शून्य है ।

४७ लाइसेंस बहाल किये गये ।

नैनीताल जिले के ग्राम लालढाक के किसानों का वन्य पशुओं के विरुद्ध दिया गया कथित शिकायती-पत्र

२४--श्री रामदत्त जोशी--

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९७८ के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत माह अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में रामनगर तहसील के लालढांक नामक गांव के किसानों द्वारा माननीय मन्त्री जी तथा डी० एफ० ओ०, रामनगर (नैनीताल) को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें वन पशुओं द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाए जाने के साथ-साथ उनके पालतू पशुओं की शेर द्वारा हत्या कर दिए जाने, हाथियों द्वारा उनके घर तोड़ दिए जाने तथा जन-जीवन को भी क्षति पहुंचाए जाने की दर्दनाक घटनाओं की सूचनायें निहित हैं ?

श्री श्रीचन्द्र--

विगत माह अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, १९७७ में रामनगर तहसील के लालढांग नामक गांव के किसानों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं जिनमें वन पशुओं द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने के साथ-साथ उनके पालतू पशुओं की शेर द्वारा हत्या कर दिये जाने, हाथियों द्वारा उनके घर तोड़ दिये जाने तथा जन-जीवन को भी क्षति पहुंचाये जाने की दर्दनाक घटनाओं की सूचनायें निहित हों ।

२५--श्री रवीन्द्र सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

विधान सभा सदस्य, श्री राज बहादुर यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यन्त खेद के साथ सदन को यह सूचित करना है कि इस सदन के माननीय सदस्य, श्री राज बहादुर यादव का कल देहान्त हो गया ।

*उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)--

श्रीमन्, बड़ा दुख का विषय है कि हमारे इस सदन के माननीय सदस्य, श्री राज बहादुर यादव का कल जिला अस्पताल, मिर्जापुर में आकस्मिक निधन हो गया । श्री यादव का जन्म २२ जून, १९३४ को जौनपुर के ग्राम देवकली में एक कृषक परिवार में हुआ था । यह अत्यन्त हृदय विदारक घटना है कि अल्प आयु में ही अचानक वे हमसे बिछुड़ गए । श्री राज बहादुर यादव सर्वप्रथम इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन में १९६७ में रारी विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आए थे, एक निर्दलीय सदस्य के रूप में। उस समय हम लोगों से भी उनसे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। वे पिछड़े वर्ग, गरीबों की सहायता करने वाले और बड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोबारा १९७४ में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर फिर से इस विधान सभा में आए और इस बार भी जनता पार्टी के टिकट पर वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। तीन बार उन्हें यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे इस प्रदेश के एक उदीयमान नेता थे। उनके आकस्मिक निधन से महान् शोक का कोहरा हमारे सब माननीय सदस्यों पर छा रहा है। उनका परिवार इस विछोह से शोक संतप्त है। मैं इस सदन की भावनाएं और माननीय सदन का शोक प्रकट करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी इन भावनाओं को, शोक समवेदना को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाएं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें कि वह इस दुर्घटना को सहन कर सके। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि वह माननीय सदन के वर्तमान सदस्य थे, इस कारण आज का उपवेशन स्थगित करने की आप कृपा करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं भी अत्यन्त दुख के साथ अपने और अपने दल को माननीय उद्योग मन्त्री जी द्वारा जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं उनसे सम्बद्ध करता हूं। मुझे भी माननीय श्री राज बहादुर यादव जी से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य रहा। वह बहुत गम्भीर, उदारचित्त, प्रगतिशील विचारों के विधायक थे। बड़ी निष्ठा के साथ जौनपुर जनपद और इस प्रदेश की सेवा में लगे रहते थे। उनकी मृत्यु अचानक जैसा कि आल इन्डिया रेडियो ने कहा कि पेन्सलिन के इन्जेक्शन के लगने से हुई। उनकी बीमारी क्या थी, उसका अन्दाज नहीं लग सका, तो यह और भी हृदय विदारक है। उसकी जानकारी माननीय उद्योग मन्त्री और शासन अवश्य करेंगे लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई और जो उनका स्थान रिक्त हुआ उसकी पूर्ति मुश्किल से हो सकती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को मेरी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्री राज बहादुर यादव की मृत्यु से जौनपुर में तो स्थान रिक्त हो ही गया, लेकिन वह एक उदीयमान नेता थे। उनसे हमारा परिचय १९६२ से था। जब वह इस माननीय सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आ चुके थे और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा करते थे। मुझे उनके क्षेत्र में जाने का मौका मिला है। वह बड़े गम्भीर व्यक्ति थे कि उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वह चरित्रवान तो थे ही। गरीबों के लिए उनमें सच्ची भावना थी। मैंने अखबारों में पढ़ा कि इन्जेक्शन लगाने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। यह खबर अखबार में पढ़कर बड़ा ही दुख हुआ। वह अभी नौजवान थे और उदीयमान नेता थे। उनकी जिन्दगी बहुत बाकी थी। उनके स्थान की पूर्ति हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

पाना बहुत ही मुश्किल है । जो संवेदनायें माननीय उद्योग मन्त्री जी ने, माननीय तिवारी जी ने व्यक्त की है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी समवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, श्री राज बहादुर यादव के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार प्रकट किए गए हैं मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी, माननीय तिवारी जी और माननीय ऊदल द्वारा, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । जिस तरह की अप्रत्याशित घटना हुई है उसको देखते हुए और जैसा मालूम हुआ कि मिर्जापुर में उन्हें कोई इन्जेक्शन लगाया गया उसकी प्रतिक्रिया हुई । जानकारी तो नहीं है लेकिन इस प्रकार की आशंका की जा सकती है कि इसके पीछे कोई रहस्य हो । इतनी कम उम्र में वह जितना लोकप्रिय थे उतना कोई न था । जौनपुर में जिस क्षेत्र में उनका मकान पड़ता था उसके बगल वाले क्षेत्र से वह चुनाव लड़े थे, उससे वह ३ बार चुनाव जीत कर आए । जो भी कोई निराशा वाला व्यक्ति उनके पास जाता था, उसे आशा बन्ध जाती थी । वह बड़े ही निर्भीक और शान्त तथा सरल स्वभाव के थे । जिस कार्य के लिए कोई नहीं मिल पाता था उसके लिए श्री राज बहादुर जी तैयार हो जाते थे । यहां तक कि लखनऊ में सूबे का कोई आदमी अगर रास्ते चलते उन्हें मिल जाय और उसके साथ ज्यादती हो रही हो और बगैर जाने सुने भी अगर उन्हें मालूम हो जाय तो उसकी मदद करने के लिए तुरन्त तैयार हो जाते थे ।

वह एक निराले स्वभाव के व्यक्ति थे । अपनी बात के बड़े पक्के थे । मान्यवर, आपको तो याद ही होगा कि सन् १९६७ में जब कांग्रेस सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह कुछ लोगों को लेकर अलग हो गए थे, उनसे भी बात की । उन्होंने कहा कि हम जन कांग्रेस में आ जायेंगे मगर हमारी दो शर्तें हैं । एक शर्त तो यह है कि हमने वचन दे दिया है पं० कमलापति त्रिपाठी जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा । दूसरे जैसा उन्होंने ही बताया, यह वायदा लिया कि आप यह वायदा करें कि जब तक चुनाव होगा आप जौनपुर नहीं जायेंगे । जैसा उन्होंने बताया कि उनकी शर्तें मानी गयीं और जन कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पं० कमलापति त्रिपाठी की मदद की । उन्होंने अगर किसी को वायदा दे दिया तो उसका पालन भी अवश्य ही करते थे चाहे उन्हें कितना ही दुख और कष्ट उठाना पड़े । जैसा मैंने बताया कि इस तरह के व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे । सभी लोग जानते होंगे जिस तरह के गम्भीर और निडर स्वभाव के वे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं । उनके परिवार वालों को तथा उनके जितने भी परिचित थे सब को अपार दुख हुआ, इसमें कोई शक नहीं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी तरफ से और कांग्रेस दल की तरफ से शोक सन्तप्त परिवार के पास शोक सन्देश भेजने का कष्ट करें । मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सदन के वर्तमान सदस्य, माननीय राज बहादुर यादव के सम्बन्ध में निधन के समाचार से हम सबको गहरा दुख है । यद्यपि यह सूचना सदन को कल ही मिल गई थी, यह सूचना उस समय मिली थी जब सदन चल रहा था और इसी

सदन के माननीय सदस्य, श्री भगवती प्रसाद सिंह ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था, विधिवत् सूचना के अभाव में इसको नहीं लिया गया। आज जब विधिवत् सूचना मिली, अखबारों में भी पढ़ा और रेडियो पर सुना तो सभी लोग शोकाकुल हैं। लोकप्रियता के बारे में यह खुब अपने में स्पष्ट है कि उन्होंने १९६७ का चुनाव जीता, १९७४ का चुनाव जीता और १९७७ का चुनाव जीता। मैं ज्यादा कुछ न कहकर जो भाव हमारे माननीय उद्योग मन्त्री जी ने, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने, माननीय ऊदल जी ने तथा माननीय लक्ष्मी शंकर यादव जी ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और प्रगतिशील विधायक दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा शोक सन्देश शोकाकुल परिवार के पास भेजने का कष्ट करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आज हमारे बीच में राज बहादुर यादव जी नहीं रहे। यह बात हमारे सभी माननीय सदस्यों को खटक रही है। वह हमारे पड़ोसी थे और यहस भी हमारी बगल में ही रहते थे। कल ही जब यह खबर मिली तो मैं हाउस में बैठने में अपने आपको असमर्थ पा रहा था, इसलिए मैंने उसी समय इन सदन में इसका जिक्र किया था जो परम्परा के विपरीत था, जैसा कि बोलर वाले लोगों से मालूम हुआ। माननीय राज बहादुर यादव बहुत ही गम्भीर औ निष्ठावान व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात जो उनमें थी वह यह थी कि जातियवे के आधार पर देश और प्रदेश में जो दलगत राजनीति चल रही है उससे द बहुत दुखी थे। जब नई सरकार बनी तो उनके यहां पर रोज सैकड़ों की तादा में यादव लोग जाते थे। वर्ष १९७४ से उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला वे बात किया करते थे कि प्रदेश के यादव मुझे यादव समझते हैं लेकिन म विधायक हूं और ऊब कर वे कभी-कभी खिड़की के रास्ते निकल जाया करते थे कभी तो वे सुबह ही भाग जाते थे और हाउस के चलने के समय तक आते थे यह उनकी महानता थी कि उनमें जातिवाद की बात कभी भी नहीं आई रोज-ब-रोज मुझे उनसे मिलने का अवसर मिलता था। अभी जैसा कि और वक्ताओं ने कहा और जो खबर अखबार की है उससे मालूम हुआ कि इन्जेक्शन के बाद ही उनकी मृत्यु हुई, जो बहुत ही दुखद और शोचनीय बात है। मैं माननीय राज बहादुर यादव के बहुत करीब था इसलिए मैं ले रहा हूं अन्यथा और नेता बोल ही चुके हैं। मैं मार्क्सवादी दल और अपनी ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना उनके सन्तप्त परिवार को भिजवाने की कृपा करें।

मैंने पूरा नहीं सुना, माननीय उद्योग मन्त्री जी ने कहा कि शायद हाउस स्थगित कर दिया जाय। मैंने प्रस्ताव किया था कि शायद ऐसी परम्परा है कि जो मौजूदा विधायक हैं यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो जैसे सरकारी कार्यालयों में और स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, तुरन्त ही सन्देश मिलने के बाद ही हाउस को बन्द कर देना चाहिए। एक ओर तो हमारे सदन के माननीय सदस्य की मृत्यु हो जाती है उनका पूरा परिवार, उनके क्षेत्र की जनता शोकाकुल है, हम यहां पर हाउस चलायें और हंसी उड़ाएं, उचित नहीं है। इसलिये मेरा कल ही प्रस्ताव था जिसको माननीय लक्ष्मी शंकर यादव ने बड़े तीखे शब्दों में कहा कि बन्द होने की परम्परा नहीं है। मैं चाहता हूं कि परम्परा यह हो कि अगर कोई सिटिंग एम० एल० ए० मर जाता है तो तुरन्त ही जैसे सूचना मिले, सदन को बन्द कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कल श्री राज बहादुर की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, लेकिन वह भ्रमात्मक था। राज बहादुर के स्थान पर राज नाथ का नाम लिखा था, इसलिए उसकी पुष्टि करना आवश्यक था। मुझे अत्यन्त आघात पहुंचा। श्री राज बहादुर जौनपुर में एक डाक्टर के इलाज में थे। उन डाक्टर का ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया और श्री राज बहादुर उसी डाक्टर के इलाज में थे। जिलाधिकारी ने तार द्वारा सूचित किया कि पेंसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का एक इन्जेक्शन लगा और तुरन्त ही उसकी प्रतिक्रिया से उनकी दुखद मृत्यु हो गयी। यह हम सब लोगों के लिए अत्यन्त दुख का विषय है कि ४४ वर्ष की अल्प आयु में श्री राज बहादुर हमारे बीच से चले गए। १९६७ में जब वे निर्वाचित होकर आए, मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ था। जैसा कि अभी माननीय लक्ष्मी शंकर यादव जी ने कहा वे अत्यन्त सत्यनिष्ठ, उदार और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। जो वचन वे दे देते थे वे उसका पूर्णतया पालन करते थे। संकीर्ण भावना तो उनको छू तक नहीं गयी थी। उस समय यद्यपि वे कांग्रेस दल के साथ नहीं थे। राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसैन का जब चुनाव हुआ तो वे डाक्टर साहब के समर्थन में रहे और जैसा कि यादव जी ने कहा कि जन कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो वचन उन्होंने दिया था, उसका उन्होंने पालन किया। वे अत्यन्त सहृदय थे। जिसके सम्पर्क में आते थे उस पर वह अपनी छाप छोड़ देते थे। उनके उठ जाने से इस प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। मैं भी अपने को, और जो माननीय उप नेता सदन और विरोधी दल के नेताओं ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, उनके साथ सम्बद्ध करता हूं। और आप लोगों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनको शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा और आज जैसा कि माननीय उप नेता, सदन ने प्रस्ताव किया, दिवंगत आत्मा के सम्मान में यह सदन आज के लिए स्थगित किया जाय और आज मैं आप से निवेदन करूंगा कि स्थगित होने से पहले दो मिनट के लिए मौन होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब आज सदन उनके सम्मान में स्थगित किया जाता है और कल हम फिर ११ बजे मिलेंगे और आज का काम कल लिया जायेगा।

(इसके बाद सदन १२ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ अगस्त, १९७८

लिखित

लिखित 'क'

(देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर ।)

शोषित संघर्ष समिति, मेरठ द्वारा प्रस्तुत मांगों की सूची

१—१४ अप्रैल को डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश तुरन्त घोषित करें ।

२—प्रत्येक कार्यालय में और नेताओं की तरह डाक्टर अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिये ।

३—छात्रों की २० जुलाई के पश्चात् रजिस्ट्रेशन होने पर जुलाई की भी छात्रवृत्ति दी जाये ।

४—सेवारत कर्मचारियों की फीस माफ करके आय के आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति दी जाय ।

५—मेडिकल कालेज और सरकारी कार्यालयों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, स्कूल एवं कालेजों में २० प्रतिशत नौकरियां अनुसूचित जाति से पूरी की जायं ।

६—सन् १९७५ में हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास के लिये प्रदान की गयी ४० हजार व ५ लाख रुपये उसको क्रमशः कुमार आश्रम और एक हरिजन छात्रावास के स्थान पर स्थापित किया जाये ।

७—अनुसूचित एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में सरकार द्वारा आवंटित रिहाईशी एवं जोत की भूमि के सभी पट्टे बहाल रखे जायं और गैर कानूनी कब्जा को तुरन्त हटाया जाये, न हटने पर कब्जेदार के साथ कानूनी कार्यवाही की जाय ।

८—सभी अनुसूचित जाति, पिछड़ी एवं अल्प संख्यक वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को कुशलता से रोका जाये तथा घटित अत्याचारों की तुरन्त ही जांच कर दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जाये ।

९—अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं को पैनल लायर्स दीवानी, फौजदारी, माल तथा अन्य कार्यालय से सम्बन्धित १८ प्रतिशत लगाये जायें ।

१०—सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को मासिक बेरोजगारी का भत्ता दिया जाये ।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर ।)

ओम प्रकाश सिंह,

न्याय एवं कारागार मंत्री ।

अर्ध० शा० पत्र सं० ४१९४पी/२२--२४१७-ए०क्यू०-७८
गृह (कारागार) अनुभाग-२
विधान भवन,
लखनऊ ।
दिनांक १० अगस्त, १९७८

प्रिय महोदय,

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के ७वें मंगलवार के लिए निर्धारित आपके तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में दिनांक ९ मई, १९७८ को सदन में आपको यह सूचित किया गया था कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" इस प्रश्न के उत्तर के समय आपको पूर्ण सूचना शीघ्र देने का आश्वासन भी दिया गया था । तदनुसार आपके प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न सूचना प्रेषित है :--

प्रश्न	उत्तर
१--क्या माननीय कारागार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, फतेहपुर के जिला कारागार में एक बन्दी शिव भूषण, जो १६ मार्च, १९७८ को छूटा लगभग डेढ़ वर्ष ज्यादा क्यों बन्द रहा । फतेहपुर के एक स्थानीय समाचार-पत्र के संवाददाता द्वारा जिला अधिकारी, फतेहपुर को दी गई सूचना के बाद पकड़े गये इस ज्यादा अवधि तक बन्द रहने के मामले में कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई । और क्या इतने बड़े मामले को पकड़े जाने के बाद कोई विभागीय प्रेस विज्ञप्ति करी गई और क्या इतनी अच्छी सूचना देने वाले संवाददाता को पुरस्कृत किया गया ।	१--इस घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने तथा तत्पश्चात् न्याय विभाग की राय प्राप्त करने पर यह सिद्ध हुआ है कि बन्दी शिव भूषण को दिनांक ५ अगस्त, १९७७ को कारागार से मुक्त हो जाना चाहिए था । किन्तु जेल अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४२९ के प्राविधानों के सम्बन्ध में भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण उक्त बन्दी दिनांक ५ अगस्त, १९७७ से १३ जनवरी, १९७८ तक जेल में अधिक परिरुद्ध रखा गया । दिनांक १४ जनवरी, १९७८ को उक्त बन्दी के विरुद्ध चल रहे ५वें मुकदमें का जेल वारंट प्राप्त हुआ जिसमें आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत उसे दो माह की सजा मिली थी । तदनुसार २ माह की सजा की गणना करके उसे १५ मार्च, १९७८ को जेल से मुक्त कर दिया गया था ।

उक्त जेल के ७ अधिकारी इस मामले से सम्बद्ध हैं, जिनकी गलती या नियम की सही जानकारी न होने के कारण उक्त बन्दी अधिक समय तक जेल में रहा। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के आदेश कारागार महानिरीक्षक को भेजे जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने पर विभाग द्वारा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करी गई थी और न ही सम्बन्धित स्थानीय समाचार-पत्र के सम्वाददाता को, जिसने इस घटना की सूचना जिला अधिकारी, फतेहपुर को दी थी, पुरस्कृत किया गया था।

भवदीय,

ओम प्रकाश सिंह।

श्री हुक्म सिंह परिहार,
सदस्य विधान सभा,
ग्राम बंगरी, पो० डिमनेर,
जिला आगरा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर ।)

संलग्नक

थाना	१९७८	१९७७	१९७६	१९७५
बोकापुर—				
१—डकैती	३	४	२	..
२—कत्ल	३	३	१	२
हैदरगंज—				
१—डकैती	६	६	४	५
२—कत्ल	४	२	..	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर ।)

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ७०४२–४५/चौदह–८–७७–७८

सुरेश चन्द्र जोशी, जिला विद्यालय निरीक्षक,

उत्तर काशी ।

उत्तर काशी दिनांक सितम्बर 6, 1977

प्रिय महोदय,

इस कार्यालय के रेडियोग्राम दिनांक १ सितम्बर, १९७७ के तारतम्य में निवेदन है कि धौन्तरी क्षेत्र गाजणा कठूड़, मानपुर की विशाल जनता जिसमें महिलाएं भी थीं, दिनांक १ सितम्बर, १९७७ को धौन्तरी में हाई स्कूल खोले जाने के लिए इस कार्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय में विशाल प्रदर्शन किया ।

प्रदर्शन करने के उपरान्त जो ज्ञापन मुझे दिया उसमें उल्लेख किया है कि धौन्तरी में हाई स्कूल, श्री काखाल न्यूसारी, मानपुर, बाड़ागड़ी में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ तक दी जाय । अन्यथा गाजणाकठूड़ की जनता दिनांक १६ सितम्बर, १९७७ से अपना रोष प्रकट करने हेतु शासन के विपरीत शान्तिपूर्ण सीधी कार्यवाही का अवज्ञा आन्दोलन करेंगी । ज्ञापन की प्रति संलग्न है ।

इसी प्रकार मनेरी का भी प्रतिनिधि मण्डल दो बार मुझसे कार्यालय में मनेरी में हाई स्कूल खोले जाने हेतु मिला है ।

अतः यह अनुरोध है कि शासन द्वारा उक्त स्थानों पर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय यथाशीघ्र प्रदान करवाने की कृपा करें । ताकि १६ सितम्बर, १९७७ से प्रदर्शन एवं अन्य कोई अवांछनीय स्थिति न आने पाये । कृपया निर्णय की स्वीकृति तार या रेडियोग्राम द्वारा १६ सितम्बर, १९७७ से पूर्व देने की कृपा करें ताकि समय रहते धौन्तरी एवं मनेरी की जनता को अवगत कराया जा सके । उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है ।

सं० । सद्भावी,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र, ह० सुरेश चन्द्र, जोशी

संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)

शिविर कार्यालय, लखनऊ ।

अर्द्धशासकीय पृ० पत्र सं० / (१) चौदह–८/७७–७८, दिनांक उक्त ।

प्रिय महोदय,

इस कार्यालय के रेडियोग्राम दिनांक १–९–७७ के क्रम में उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति शासन की सेवा में अध्यक्ष, शिक्षा विकास संघर्ष समिति पट्टी गाजणाकठूड़ उत्तरकाशी के ज्ञापन की प्रति सहित भेजते हुए निवेदन है

कि धौन्तरी/मनेरी में नये हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि समय होते जनता को अवगत कराया जा सके ।

सद्भावी,

श्री रेवाधर तिवाड़ी, सुरेश चन्द जोशी ।

पर्वतीय विकास अनुभाग–२

लखनऊ ।

अर्द्धशासकीय पृ० पत्र संख्या /चौदह–८/२/७७–७८, दिनांक उक्तवत् ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । ज्ञापन की प्रति संलग्न है ।

सद्भावी,

श्री भैरव दत्त पाठक, सुरेश चन्द्र जोशी ।

उप शिक्षा निदेशक,

गढ़वाल मण्डल,

पौड़ी ।

अर्द्धशासकीय पृ० सं०/ /चौदह–८/३/७७–७८, दिनांक उक्त ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सद्भावी,

श्री हरगोविन्द डबराल, सुरेश चन्द्र जोशी ।

जिलाधिकारी,

उत्तर काशी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१६ पर ।)

शिकायतों का विवरण

(१) दिनांक १८-४-७८ को प्रातः ०८-३५ बजे हेड कान्स० सुखदेव तिवारी ने विद्यालय के परीक्षा कक्ष में घुसने का प्रयास किया और रोके जाने पर प्रधानाचार्य को अपशब्द कहे ।

(२) दिनांक १९-४-७८ को विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री बलदेव सिंह को, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे, थाना छावनी के सामने खड़े उक्त हेड कान्स० श्री सुखदेव तिवारी ने थानाध्यक्ष श्री खड़ग सिंह एवं उप निरीक्षक श्री राजदेव सिंह की उपस्थिति में रोका, थाने ले गये और ड्राइविंग लाइसेन्स रखवाकर तथा दो सौ रुपये नगद लेकर छोड़ा । पुलिस वालों ने यह धमकी भी दी कि प्रधानाचार्य ने उनके हेड कान्स० को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं दिया था तो उनका भी अधिकार है कि वह उनको (अध्यापकों) तथा उनकी गाड़ी को बन्द कर दें ।

(३) श्री संतराम (हरिजन) प्रधान लिपिक ने शिकायत की कि दिनांक १९-४-७८ को विद्यालय जाते समय थाने के सामने हेड कान्स० सुखदेव तिवारी ने उन्हें रोका, थाने में ले गये तथा गाली गुप्ता देने के बाद हवालात में बन्द कर दिया और एक सौ रुपया लेकर छोड़ा ।

(४) दिनांक ३-५-७८ को उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम शंकर सिंह ने तार द्वारा शिकायत की कि थानाध्यक्ष श्री खड़ग बहादुर सिंह अवकाश लेकर थाना छावनी में रह रहे हैं और हेड कान्स० सुखदेव तिवारी व राम देव सिंह (उप निरीक्षक) की सहायता से असामाजिक तत्वों को संगठित कर विद्यालय के किसी सदस्य की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, जिससे स्थित गम्भीर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

संलग्न सूची

१—श्री जी० के० ग्रोवर, पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजाबाद ।

२—श्री नत्थू लाल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा ।

३—श्री एम० पी० अग्निहोत्री, पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा ।

४—श्री एस० के० त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, एटा ।

५—श्री छोटे लाल, पुलिस अधीक्षक, एटा ।

६—श्री आर० एन० श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एटा ।

७—श्री अजीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एटा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर ।)

मुख्य मंत्री को प्राप्त कथित पत्र में निम्नलिखित शिकायतें थी	पत्र में लिखित शिकायतें कितनी सही पायी गयीं	और क्या कार्यवाही की गयी
१	२	३
१—दिनांक २२ व २३ दिसम्बर, १९७७ को केन्द्रीय कारागार, बरेली में चीफ हेडवार्डरों का चयन हुआ था जो योग्यता और चरित्रपंजी के आधार पर न होकर अन्य रीतियों से हुआ ।	सही नहीं पायी गई ।	प्रश्न नहीं उठता ।
जो अनियमिततायें तथा पक्षपात इस चुनाव में बरता गया उसको दबाने हेतु जो सम्मिलित हुए उनसे पहले ही लिखा लिया गया कि हम लोगों से कोई रिश्वत का पैसा नहीं लिया गया ।		
२—केन्द्रीय कारागार, बरेली के अधीक्षक, श्री उदित सिंह ने अर्धशासकीय पत्र संख्या १६०१/१६—स्था०/७७ कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय कारागार बरेली दिनांकित जुलाई ९, १९७७ के द्वारा संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम खेड़ा बझेड़ा को जो सूचना दी है वह सत्य से परे है ।	जो सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम को दी गई थी वह जेल में उपलब्ध प्रेडेशन लिस्ट के आधार पर थी । क्योंकि उस समय श्री रघुवीर सिंह अप्रेन्टिस वार्डर की सेवा पुस्तिका कारागार में उपलब्ध नहीं थी अतः पूर्ण सूचना भेजना सम्भव नहीं था ।	प्रश्न नहीं उठता ।

१	२	३
३--केन्द्रीय कारागार, बरेली के प्रांगण में नलकूप ६ इंची हजारों रुपये की लागत में बनाया गया लेकिन हजारों रुपया सरकार के खर्च हो जाने के बाद भी उससे सिंचाई नहीं हो रही है। यह नल-कूप रेलवे इज्जतनगर के पड़ोस वाले जेलफील्ड में बना है। यदि गुप्तचर विभाग इसकी भी जांच करें तो भंयकर घुटाला व पैसे का गड़बड़ निकलेगा।	यह सही पाया गया कि नलकूप पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है किन्तु यह सही नहीं है कि रुपये पैसे का घुटाला हुआ।	कारागार महानिरीक्षक द्वारा यह दिखवाया जायेगा कि नलकूप पूरी क्षमता से कार्य क्यों नहीं कर रहा है।
४--मजे की बात यह है कि भ्रष्टाचार व अनियमित कार्यों की शिकायत तो श्री जंगी सिंह, रिटायर्ड हवल-दार ने १९-१-७८ को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा की लेकिन केन्द्रीय कारागार अधीक्षक, बरेली श्री बलवीर सिंह, हेडवार्डर, रामपुर का जबाब पत्रांक मेमो/१६ बी० हे० वा०/चुनाव/७८ दिनांक १६-२-७८ द्वारा तलब करते हैं।	श्री बलवीर सिंह, श्री जंगी सिंह, रिटायर्ड हवलदार के पुत्र हैं। श्री जंगी सिंह ने अपने पुत्र के चीफ हेडवार्डर के पद पर चयन के सम्बन्ध में शिकायत की थी। अतः श्री बलबीर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया किन्तु दोषी न पाये जाने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।	किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
५--दिनांक २६-१-७८ को श्री जोशी अतिरिक्त महा-निरीक्षक, कारागार ने निरीक्षण किया और श्री बलवीर सिंह, वार्डर जो कि डियूटी पर भी न थे, उन पर २०/- रुपये का नोटिस दिया जिसका पत्रांक मेमो (१)/७८ दिनांक, रामपुर जनवरी २६-१-७८ है।	श्री बलबीर सिंह पर २० रुपये जुर्माने की बात सही है किन्तु यह सही नहीं है कि वह डियूटी पर नहीं थे। उक्त जुर्माना बैरकों, शौचालय तथा चक्र में गंदगी पाये जाने के कारण किया गया था।	किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

१	२	३
श्री जोशी का २६-१-७८ का रामपुर कारागार का जो निरीक्षण है वह भी पढ़ा जाय और यह भी जांच की जाय कि श्री जोशी जी ने स्वतन्त्रता दिवस में कहां और किस-किस जगह पर किस-किस कार्यक्रम में भाग लिये ।	यह सही है कि श्री जोशी अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक ने २६-१-७८ (अपराह्न) को जिला कारागार, रामपुर का निरीक्षण किया । उसके पूर्वाह्न में उन्होंने सम्पूर्णानन्द शिविर, मिलारगंज में स्वतन्त्रता दिवस में भाग लिया था ।	किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अवध पदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर ।)

इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत थाना मंझनपुर, पश्चिम-शरीरा, करारी एवम् सराय-आकिल क्षेत्रों में १-१२-७७ से ३१-३-७८ तक पड़ी डकैतियों, हुई चोरियों एवम् हुए कत्ल का विवरण

१--थाना मंझनपुर--

डकैती १--अपराध सं० ७, धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० ।
२--अपराध सं० ३५, धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० ।

चोरी १--अपराध सं० ५४, धारा ३८८ भा० द० वि० ।
२--अपराध सं० ९, धारा ८, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
३--अपराध सं० २४, धारा ३८१ भा० द० वि० ।
४--अपराध सं० २०, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
५--अपराध सं० ५३, धारा ३७९ भा० द० वि० ।

कत्ल १--अपराध सं० २२, धारा ३०२ भा० द० वि० ।
२--अपराध सं० ४९, धारा ३०२ भा० द० वि० ।
३--अपराध सं० ५२, धारा ३०२, भा० द० वि० ।
४--अपराध सं० ६८, धारा ३०२ भा० द० वि० ।

२--थाना पश्चिम-शरीरा--

डकैती १--अपराध सं० १२, धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० ।

चोरी १--अपराध सं० ३५, धारा ३८० भा० द० वि० ।
२--अपराध सं० ३४, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
३--अपराध सं० ३८, धारा ३८० भा० द० वि० ।
४--अपराध सं० ३१, धारा ३८० भा० द० वि० ।
५--अपराध सं० २८, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
६--अपराध सं० २४, धारा ३८० भा० द० वि० ।
७--अपराध सं० २५, धारा ३८० भा० द० वि० ।
८--अपराध सं० ९, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
९--अपराध सं० ५, धारा ३७९ भा० द० वि० ।
१०--अपराध सं० ३, धारा ३८२ भा० द० वि० ।

११--अपराध सं० ११७, धारा ३८२ भा० द० वि० ।

१२-- पराध सं० १७१, धारा ३८२ भा० द० वि० ।

१३--अपराध सं० १६९, धारा ३८० भा० द० वि० ।

कत्ल १--अपराध सं० १७५, धारा ३०२ भा० द० वि० ।

२--अपराध सं० ३३, धारा ३०२/३९४ भा० द० वि० ।

३--थाना करारी--

डकैती शून्य ।

चोरी १--अपराध सं० १३७, धारा ३८० भा० द० वि० ।

२--अपराध सं० १३३, धारा ४५७/३८० भा० द० वि० ।

३--अपराध सं० १३१, धारा ३८० भा० द० वि० ।

४--अपराध सं० १३०, धारा ४५७/३८० भा० द० वि० ।

५--अपराध सं० १२९, धारा ३८० भा० द० वि० ।

६--अपराध सं० ४२, धारा ३७९ भा० द० वि० ।

७--अपराध सं० ३८, धारा ३७९ भा० द० वि० ।

८--अपराध सं० २७, धारा ३८० भा० द० वि ।

९--अपराध सं० २०, धारा ३८० भा० द० वि० ।

१०--अपराध सं० १८, धारा ३८० भा० द० वि० ।

११--अपराध सं० १५, धारा ३८० भा० द० वि० ।

१२--अपराध सं० १३, धारा ४५७/३८० भा० द० वि० ।

१३--अपराध सं० २, धारा ४५७/३८० भा० द० वि० ।

१४--अपराध सं० ३, धारा ४५७/३८० भा० द० वि० ।

१५--अपराध सं० ९, धारा ३८० भा० द० वि० ।

कत्ल १--अपराध सं० १३५, धारा ३०२ भा० द० वि० ।

२--अपराध सं० १४१, धारा ३०२ भा० द० वि० ।

४--थाना सराय आकिल--

डकैती शून्य ।

चोरी १--अपराध सं० २५, धारा ३८० भा० द० वि० ।

कत्ल शून्य ।